सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली – 110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2014–15

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली – 110029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	III
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप, लक्ष्य एवं उल्लेखनीय कार्यक्रम	3
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7
अध्याय 4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	13
अध्याय 5	क्षमता विकास	21
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन	29
अध्याय 7	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना	33
अध्याय 8	प्रशासन एवं वित्त	43
	अनुबंध – I	46
	अनुबंध – II	47
	अनुबंध – III	49
	अनुबंध – IV	51
	अनुबंध – V	52

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

अध्याय-1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से, 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण हैं। 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएँ शामिल हैं, ऐसे अतिरिक्त खतरे हैं, जिन्होंने प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, भौमिक खतरों, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती संभावनाओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्टतः, इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए संकट एवं चुनौती बन जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। सभांरतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी. आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, की विशेष टीमों की व्यवस्थाएँ, महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, की पुनर्बहाली और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित है।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली को राहत केंद्रित तरीके के स्थान पर एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके में परिवर्तित किया है जिसमें रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली समाहित आपदा प्रबंधन का सम्पूर्ण चक्र कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि विकास प्रक्रिया में आपदा प्रशमन को सन्निहित न किया जाए।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने के लिए तथा कारगर प्रशमन तंत्र का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था । तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से एक संसदीय अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना की।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की

व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधाओं/दबावों के बारे में विभिन्न हितधारकों के फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा के लिए मौजूदा अधिनियमों एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन हेतु एक कार्य बल गठित किया था। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट 08–03–2013 को प्रस्तुत कर दी। एन.डी.एम.ए. ने रिपोर्ट की संगत सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियों को सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया है जिसमें नौ सदस्यों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। जून 2014 तक एन.डी.एम.ए. में निम्नलिखित सदस्य थे– (1) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, (2) श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, (3) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त), डॉ. जे.के. बंसल, सदस्य, (4) श्री के.एन. श्रीवास्तव, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, (5) डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, (6) प्रोफेसर हर्ष गुप्ता, सदस्य, (7) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य, (8) श्री के.एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, (9) श्री के.सलीम अली, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य।

1.9 वर्तमान में, एन.डी.एम.ए. का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री एवं एन.डी.एम.ए. के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें उनके सहायक एक सदस्य सचिव एवं तीन अन्य सदस्य हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का विस्तृत संघटन अनुबंध I में प्रस्तुत है। एन.डी.एम.ए. से संबद्ध वर्तमान सदस्य निम्नानुसार हैं :

1.10 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के लिए उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। एन.डी.एम.ए. राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य योजनाओं को तैयार करने और किसी आशंकित आपदा परिस्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए आपदा की रोकथाम अथवा प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे उपाय, जैसा जरूरी समझे जाएं, करने के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी निर्दिष्ट करेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.11 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय के अध्यक्ष सचिव होते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक/उप निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

1.	श्री आर.के.जैन	सदस्य सचिव
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (30.12.2014 से)
3.	डॉ.डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
4.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

अध्याय-2

कार्यकलाप, लक्ष्य एवं उल्लेखनीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्धारित करना है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है :

(क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना ;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना ;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के पालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(घ) आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना ;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना ;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए ;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा के संकट की स्थिति से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे ;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना ;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना ।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का प्रबलता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, सी.बी.आर.एन. हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार है :

"रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना है।"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना ।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना ।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना में पूरी तरह शामिल करना ।

(घ) सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालनात्मक व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना ।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुकूल कारगर कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा–समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

उल्लेखनीय कार्यक्रम

जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से बाढ़ राहत के लिए कार्यकलापः

जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति का संवितरण

2.6 सितंबर, 2014 में जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान नष्ट हो गए उनको कुछ राहत देने एवं सहायता पहुंचाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह नष्ट हुए पक्के मकानों के मामले में 1 लाख रुपए तथा कच्चे मकानों के लिए 50 हजार रुपए की राशि दी गई। 18,441 बाढ़ पीड़ितों को सीधे उनके बैंक खातों में राहत राशि जमा करा कर 129.34 करोड़ रुपए की इस राहत राशि का

संवितरण किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, गंभीर रूप से नष्ट एवं आंशिक रूप से नष्ट पक्के एवं कच्चे मकानों की चार और श्रेणियां जोड़ी गई और उन्हें क्रमशः 50000/–रु., 25000/–रु., 10000/–रु., 5000/–रु. प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इस घटक के अंतर्गत 1,87,339 अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद मिलेगी।

पाठ्य–पुस्तकों का वितरण

2.7 एन.डी.एम.ए. ने जम्मू एवं कश्मीर में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूली बच्चों के लिए नष्ट हुई पाठ्य–पुस्तकों को बदलने के काम का समन्वय किया। कुल 1,18,500 पाठ्य–पुस्तक सेट जिनमें 7,05,698 पाठ्य–पुस्तकों को 77,244 सरकारी स्कूलों और 41,256 निजी स्कूलों में बंटवाया गया। एन.सी.ई.आर.टी. से 7,200 पाठ्य पुस्तकों के 180 पाठ्य पुस्तक सेटों को 5 केंद्रीय विद्यालयों और 3 जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। 19.61 करोड़ रुपए की एक राशि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पाठ्य–पुस्तकों के वितरण हेतु जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को सीधे अंतरित की गई जिसमें से 4.08 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के कारण नष्ट चिकित्सा उपकरणों के स्थान पर नए उपकरणों की अधिप्राप्ति/बदलाव

2.8 प्रधानमंत्री कार्यालय से मार्गदर्शन के अनुसार, एन.डी.एम.ए. ने श्रीनगर, जम्मू और लेह के इलाकों, जहां जम्मू एवं कश्मीर में हालिया बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, में अस्पतालों हेतु नए चिकित्सा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए समन्वय कार्य किया। अधिप्राप्ति के लिए 142,14,02,771 रुपए की राशि के 460 उपकरणों को चिह्नित किया गया जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ) निधियां प्राप्त की गईं। 120.46 करोड़ रुपए के 231 उपकरणों की आपूर्ति हेतु मैसर्स एच.एल.एल. लाइफ केयर लिमिटेड को काम सौंपा गया है। 231 उपकरणों में से 116.64 करोड़ रुपए के 222 उपकरणों के लिए आदेश दिया गया जिसमें से 87 की आपूर्ति हो गई, 29 संस्थापित किए जा चुके हैं और 25 कमीशन कर दिए गए हैं। 20.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 238 उपकरणों की जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति की जानी है। 115.00 करोड़ रुपए की एक राशि 3 ट्रांशों में अग्रिम के रूप में मैसर्स एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड को जारी की गई।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 18 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी। इसमें आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 {खंड 6(2) (ख) के साथ पठित} के खंड 11 के अनुसार, एन.डी.एम.पी. को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा एन.पी.डी.एम. 2009 के संबंध में तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों और राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा और इसे एन.डी.एम.ए. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एन.ई.सी. ने 21.10.2013 को गृह सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित अपनी 15वीं बैठक में मसौदा एन.डी.एम.पी. को समाशोधित (क्लियर) कर दिया था और इसे एन.डी.एम.ए. के अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित किया। व्यापक परामर्श के बाद मसौदा एन.डी.एम.पी. संशोधन के अधीन है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) संस्थाओं, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम कर रही हैं, की मदद से इस काम में अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए मिशन–आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को, अन्य सभी हितधारकों के अलावा, दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों पर आधारित होंगे (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) जो योजनाओं की तैयारी का आधार बनेंगे। विषय की जटिलता के आधार पर, इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में 12 से 18 मास का न्यूनतम समय लगा। दिशानिर्देश बनाने में अपनाए गए दृष्टिकोण में भागीदारों के साथ सहभागिता और परामर्श के **'नौ चरण'** वाली प्रक्रिया शामिल है, जैसाकि चित्र 3.1 में दर्शाया गया है।

3.4 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :–

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदावार किए गए अध्ययनों की त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटर करने को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में दर्शाकर हासिल की जाएं।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात् क्या किया जाना है ? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा ? और कब तक किया जाना है ? के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

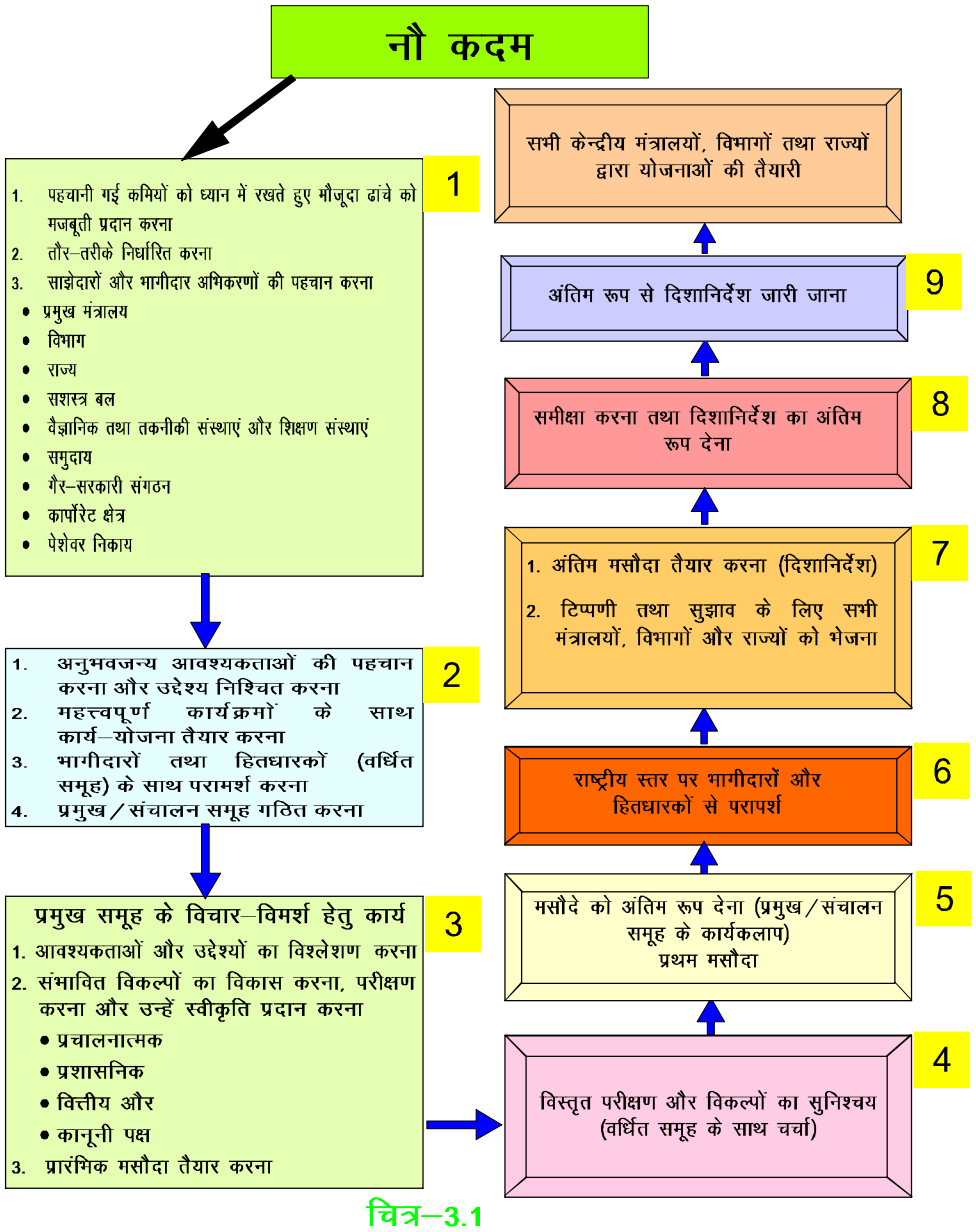

चित्र–3.1

3.5 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा रिपोर्टें जारी की गईं–

एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	भूकंप
2.	सुनामी
3.	चक्रवात
4.	बाढ़
5.	शहरी बाढ़
6.	सूखा

7.	भूस्खलन
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियां
9.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक)
10	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा
11.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन
12.	जैव आपदा
13.	मनो–सामाजिक सहायता
14.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रतिपादन
15.	घटना कार्रवाई प्रणाली
16.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली
17.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण
18.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)

अन्य रिपोर्टों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	स्वास्थ्य से परे विश्वव्यापी महामारी
4.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी का सुदृढ़ीकरण
5.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
6.	आपदा के कारण मृत हुए लोगों के शवों का प्रबंधन कार्य
7.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
8	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिकाः भाग I एवं II

कमजोर भवनों एवं ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत पर राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश

3.6 नीति दिशानिर्देशों की विषय–वस्तु को तय किए जाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया और नवंबर, 2014 में अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए गए।

जनसमूह एकत्रण (भीड़ जमाव) के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन पर दस्तावेजों की तैयारी

3.7 "जनसमूह एकत्रण के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय मार्गदर्शिका" और "जनसमूह एकत्रण के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन पर संक्षिप्त रूपरेखा" को आई.आई.एम., अहमदाबाद तथा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के परामर्श से तैयार किया गया है और इसे फरवरी, 2015 में एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन पर संगत अधिनियमों, नियमों, कानूनों, विनियमों, अधिसूचनाओं का सार तैयार करना

3.8 एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन पर संगत अधिनियमों, नियमों, कानूनों, विनियमों, अधिसूचनाओं के सार को पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से तैयार किया है। यह दस्तावेज सभी आपदा प्रबंधकों विशेषतः जिला–स्तरीय अधिकारियों

के लिए एक उपयोगी दस्तावेज (रेडी रेकनर) के रूप में लाभदायक होगा। सितंबर, 2014 में इसे एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

तैयार किए जाने के अंतर्गत दिशानिर्देश एवं रिपोर्टें

3.9 इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. ने 'स्कूल सुरक्षा', 'अस्पताल सुरक्षा', 'समुदाय आधारित प्रबंधन', 'आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) की भूमिका' पर दिशानिर्देशों का मसौदा भी तैयार किया है। आम जनता तथा हितधारकों से सुझाव/टिप्पणी/फीडबैक आमंत्रित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.10 इसका उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षा वातावरण के निर्माण में मदद करना और स्कूल सुरक्षा के बारे में विशिष्ट कार्रवाइयों पर प्रकाश डालना है जिन्हें शिक्षा आपूर्ति के लिए मौजूदा रूपरेखा के अंदर विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा सकता है। एन.डी.एम.ए. के पास उक्त दिशानिर्देशों के प्रतिपादन की प्रक्रिया पूर्ण है और यह अध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. के कार्यालय से अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत है।

अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.11 मोटे तौर पर इसका उद्देश्य अस्पताल सुरक्षा पर नीति दिशानिर्देश तैयार करना और ऑन–साइट आपातस्थितियों से निपटने की तैयारी; कमियों की पहचान करना; मौजूदा कोडों की समीक्षा और ऐसे परिवेशों के अंदर सुरक्षा प्राचलों की बेहतर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए कदम उठाने की सिफारिश करना। जनवरी, 2012 में एन.डी.एम.ए. द्वारा राष्ट्रीय मुख्य समूह का गठन किया गया। 31 दिसंबर, 2013 को दिशानिर्देशों का पहला मसौदा हितधारकों को उनकी प्रतिक्रिया हेतु परिचालित किया गया। आवश्यक जानकारियों के समावेशन के बाद, 1 नवंबर, 2014 में संशोधित मसौदा दिशानिर्देशों को जन समीक्षा एवं टिप्पणियों के लिए एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर डाल दिया गया।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.12 एन.डी.एम.ए. ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर नीति दिशानिर्देशों के प्रतिपादन हेतु विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय मुख्य समूह (कोर ग्रुप) का गठन किया। 17 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के पहले मसौदे को सभी नोडल मंत्रालयों, राज्यों और हितधारकों को टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। एन.डी.एम.ए. ने 31 मार्च, 2014 को हितधारकों से विभिन्न तत्वों (ऐलिमेंट्स) को साझा करने और अंतिम फीडबैक/निष्कर्षों के समावेशन के लिए राष्ट्रीय बहु–हितधारक परामर्श हेतु कार्यशाला का आयोजन किया। वर्ष 2015 की पहली तिमाही में एन.डी.एम.ए. के सभी सदस्यों द्वारा संशोधित मसौदा दस्तावेज की आंतरिक समीक्षा की गई है और इस पर की गई कुछ अंतिम टिप्पणियों के समावेशन कार्य को किया गया।

आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.13 एन.डी.एम.ए. ने 27 दिसंबर, 2012 को आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर दिशानिर्देशों के प्रतिपादन हेतु विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय मुख्य समूह (कोर ग्रुप) का गठन किया। 27 दिसंबर, 2013 को दिशानिर्देशों के पहले मसौदे को नोडल मंत्रालयों, राज्यों और हितधारकों को परिचालित किया गया। मसौदा दिशानिर्देशों पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त की गईं। हितधारकों से मिली आवश्यक जानकारियों के समावेशन के बाद, मार्च, 2015 में संशोधित मसौदा दिशानिर्देशों को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर डाल दिया गया।

एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित अध्ययन

3.14 इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. ने 'भारत का संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र', 'ब्रह्मपुत्र नदी कटाव और इसके नियंत्रण पर अध्ययन', 'भारत में शहरी केंद्रों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के भू–तकनीकी/भू–भौतिकीय अन्वेशण पर तकनीकी दस्तावेज पर रिपोर्ट' तथा 'भारत भू–भाग के संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा विश्लेषण' पर भी अध्ययनों का संचालन किया है। सभी अध्ययन रिपोर्टें एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (एस.डी.एम.पी.) का प्रतिपादन

3.15 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 22 राज्यों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार कर लिया था। नियमित फॉलोअप के बाद, 34 और राज्यों ने इसे तैयार

कर लिया और एन.डी.एम.ए. के साथ अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को साझा किया है। ये राज्य हैं (1) आंध्र प्रदेश (2) अरुणाचल प्रदेश, (3) असम, (4) बिहार, (5) छत्तीसगढ़, (6) गोवा, (7) गुजरात, (8) हरियाणा, (9) हिमाचल प्रदेश, (10) झारखंड, (11) कर्नाटक, (12) मध्य प्रदेश, (13) महाराष्ट्र, (14) मणिपुर, (15) मिजोरम, (16) नगालैंड, (17) ओडिशा, (18) पंजाब, (19) राजस्थान, (20) सिक्किम, (21) तमिलनाडु, (22) त्रिपुरा, (23) उत्तर प्रदेश, (24) पश्चिम बंगाल, (25) उत्तराखण्ड, (26) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (27) दादरा एवं नागर हवेली, (28) दमन एवं दीव, (29) लक्षद्वीप, (30) दिल्ली, (31) जम्मू एवं कश्मीर, (32) केरल, (33) मेघालय और (34) पुड्डुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने यद्यपि एस.डी.एम.पी. को तैयार करने के बारे में सूचना दी है लेकिन इसको एन.डी.एम.ए. के साथ साझा करना बाकी है। तेलंगाना राज्य अपनी एस.डी. एम.पी को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनकी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (एस.डी.एम.पी.) पर परिचर्चाएं

3.16 9 राज्यों (पश्चिम बंगाल, नगालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश) के साथ वर्ष 2014–15 के दौरान उनकी संबंधित एस.डी.एम.पी. पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं और जिनके दौरान एन.डी.एम.ए. के सुझावों को इन राज्यों की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन कार्य के दौरान उन्हें (एस.डी.एम. पी.) में शामिल करने के लिए उन तक पहुंचाया गया।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन तैयारी पर परिचर्चाएं

3.17 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन तैयारी पर परिचर्चा करने के लिए एक प्रक्रिया जुलाई, 2014 में प्रारंभ की गई। तब से अब तक 31 मंत्रालयों/विभागों के साथ परिचर्चाओं का आयोजन किया जा चुका है (जुलाई, 2014 में 12 अगस्त, 2014 में 10, मार्च, 2015 में 9 परिचर्चाएं)। मंत्रालयों/विभागों की सूची अनुबंध–III में दी गई है।

एस.डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. में पशुधन प्रबंधन दिशानिर्देशों का समावेशन

3.18 पशुधन (पशु–मवेशी) जो ग्रामीण इलाकों में अनेक लोगों के लिए आजीविका का एक साधन है, आपदा के बाद के परिदृश्य में संक्रामक रोगों के फैलाव द्वारा प्रभावित होता है जिससे ग्रामीण जनसंख्या का आय के स्रोत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः पशुधन प्रबंधन आपदाओं के दौरान एक बड़ी चुनौती है और एस. डी.एम.पी. और डी.डी.एम.पी. में इसका समाधान किए जाने की जरूरत है। इसके परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–पशुधन प्रबंधन संबंधित जैविक आपदाओं के प्रबंधन के अध्याय–6 में निहित प्रावधान को अपनी एस.डी.एम.पी. में समावेश करने का अनुरोध किया गया था। इस पर 14 राज्यों ने अपनी प्रतिक्रयाएं (रिस्पांस) दी हैं–(1) अरुणाचल प्रदेश, (2) असम, (3) चंडीगढ, (4) छत्तीसगढ़, (5) दमन एवं द्वीप, (6) दिल्ली, (7) गुजरात, (8) हरियाणा, (9) हिमाचल प्रदेश, (10) केरल, (11) मिजोरम, (12) नगालैण्ड, (13) राजस्थान और (14) सिक्किम। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी इस बारे में अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) चल रही है।

डी.डी.एम.पी. की तैयारी के लिए मॉडल रूपरेखा और डी.डी.एम.पी. की तैयारी हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

3.19 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिदेशित उपबंधों के अनुसार डी.डी.एम.पी. की तैयारी हेतु एक समान रूपरेखा को सक्षम बनाने के लिए एन.डी.एम.ए. ने डी.डी.एम.पी. की तैयारी के लिए मॉडल रूपरेखा और डी.डी.एम.पी.की तैयारी हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार की हैं और उन्हें जुलाई, 2014 में एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

3.20 परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) की अगुवाई में एन.डी.एम.ए. की टीम ने 28.01.2015 से 03.02.2015 तक आंध्र प्रदेश के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (विशाखापट्टनम, विजयनगरम एवं श्रीकाकुलम और राज्य मुख्यालय हैदराबाद) तक 08.02.2015 से 13.02.2015 तक ओडिशा (गजपति, गंजम और राज्य मुख्यालय–भुवनेश्वर) के हुदहुद चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ताकि भविष्य में चक्रवात कारगर प्रबंधन के लिए सबक प्राप्त किए जा सकें।

अध्याय–4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I)

4.1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ 1,496.71 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) **चरण I** कार्यान्वयन के अतंर्गत है जो एक केंद्रीय सहायता–प्राप्त स्कीम है और जिसका निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. में बनाई गई परियोजना प्रबंधन इकाई इसका नोडल अभिकरण है जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा भागीदार राज्य हैं। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों को अपग्रेड करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन ढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र, आवासों और एम.पी.सी.एस.एस. तक संपर्क सड़कों/पुलों को खड़ा करना है ताकि प्रभावित आबादी के जोखिम और असुरक्षितताओं को कम किया जा सके, साथ ही इस उद्देश्य में लवणीय प्रवेश और समुद्री जल में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्रों और कृषि भूमियों की सुरक्षा के लिए लवणीय तटबंधों (सेलाइन इम्बैंकमेन्ट्स) का निर्माण और बहु–विपदा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करना भी शामिल है।

4.2. इस परियोजना के नीचे किए गए वर्णन के अनुसार 4 घटक हैः

घटक	परियोजना विवरण	परिव्यय (करोड़ रुपए)
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.): प्रणाली के प्रचालन हेतु समुदाय के क्षमता निर्माण सहित तटीय समुदायों को पूर्व चेतावनी प्रसारित करना।	72.75
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र; – निष्क्रमण सड़कें एवं मार्ग; – सुरक्षित निकास मार्ग और सड़कें; – लवणीय तटबंध (सेलाइन एम्बैंकमेंट्स);	1164.00
ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता, निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	29.10
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	95.06
	अनाबंटित आकस्मिकता निधि	135.80
	योग	**1496.71**

कार्यान्वयन प्रास्थिति

घटक क

4.3 भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टैन्ट्स इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल) आपदा पूर्व/दौरान/पश्चात् अवधि में सर्वत्र संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकियों का सुझाव देने वाला ज्ञान भागीदार है। यह काम 2.52 करोड़

रुपए की लागत पर 24 महीनों की अवधि के लिए दिया गया है। 1.33 करोड़ रुपए की राशि का एक व्यय अब तक किया जा चुका है। टी.सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी विकल्प, अब आंध्र प्रदेश और ओडिशा, दोनों राज्यों द्वारा राज्य आपातस्थिति प्रचालन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.), जिला आपातस्थिति प्रचालन केन्द्र (डी.ई.ओ.सी.), तालुका आपातस्थिति प्रचालन केन्द्र (टी.ई.ओ.सी.) के माध्यम से चलाई जाने वाली एक वेब आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए, संविदाकृत किए जा रहे हैं।

घटक ख

4.4 इस घटक में चक्रवात जोखिम प्रशमन ढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र (एम.पी.सी.एस.), आश्रय–केंद्रों और आवासों, पुलों और लवणीय तटबंधों तक संपर्क सड़कों, को खड़ा करना है। कुल 292 एम.पी.सी.एस. में से, 160 एम.पी.सी.एस. का काम पूरा हो गया है: 539 (782.4 किलोमीटर) सड़कों में से, 474 (663.9 किलोमीटर) सड़कों का काम पूरा हो गया है: 23 पुलों में से, 12 पुलों का काम पूरा हो गया है: 14 (90.96 किलोमीटर) लवणीय तटबंधों पर काम प्रगति के अंतर्गत है।

गुंटूर जिला (आंध्र प्रदेश) में बपटला पांडुरंगपुरम के 2/4 कि.मी. में पुल

प्रकाशम जिला (आंध्र प्रदेश) के वुलवापाडु मण्डल में चक्कीचेरला एस.टी. कॉलोनी में एम.पी.सी.एस.

कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश) में पेडागुडुमोटु में बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र

राजनगर–गोपालपुर लवणीय तटबंध (सड़क 15.05 से 19.05 कि.मी.) गंजम जिला, ओडिशा

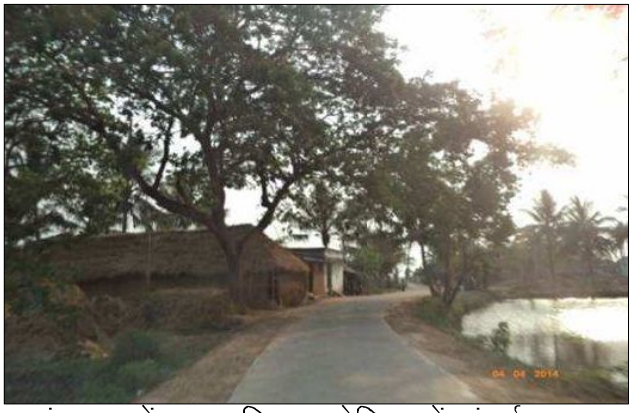

शंखपुर, केंद्रपाड़ा जिला, ओडिशा में संपर्क सड़क

पुरी जिला, ओडिशा में बाजरकोटा में बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र

घटक ग

4.5 इस घटक में किए जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्य शामिल हैं:

(क) खतरा जोखिम एवं असुरक्षितता विश्लेषण के लिए ज्ञान भागीदार मैसर्स आर.एम.एस.आई. प्राइवेट लि० है। ठेके की लागत 4.10 करोड़ रुपए है जिसमें वह 13 तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वेब–आधारित जोखिम एटलस विकसित करेगा। पहले तीन डिलीवरेबल्स प्राप्त कर लिए गए है। चौथे डिलीवरेबल में विलंब हुआ जिसका कारण दिसंबर, 2014 में भारत के सर्वेक्षण (एस.ओ. आई.) और फरवरी, 2015 में राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र से आंकड़ों का देर से प्राप्त किया जाना था। अब अध्ययन, तय समयावधि के, अंदर हासिल किए जाने वाले कार्यों के, पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा है। आज तक 1.23 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ख) भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दीर्घावधिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यनीति के लिए 2.20 करोड़ रुपए की लागत के एक अध्ययन का काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा मैसर्स सीड्स तकनीकी सेवाओं को दिनांक 30 जुलाई, 2012 को सौंपा गया। इस अध्ययन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में हितधारकों की क्षमता में मौजूद कमियों का आकलन करना, लघु एवं दीर्घावधिक क्षमता निर्माण कार्यनीतियां तैयार करना, प्रशिक्षण आवश्यकता का संचालन और सभी संगत हितधारकों के लिए प्रशिक्षण डिजाइन और मॉड्यूल तैयार करना है। सभी 17 डिलीवरेबल्स को प्राप्त और पूरा कर लिया गया है। एन.सी.आर.एम.पी. चरण–**I** के अंतर्गत इस प्रकार तैयार मॉड्यूल लागू करने के लिए एक प्रचालनात्मक योजना तैयार करने का फैसला किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन एन.सी.आर.एम.पी.–**II** के अंतर्गत निधिपोषित किया जाएगा। इस अध्ययन पर 2. 10 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ग) एन.आई.डी.एम. द्वारा एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (ए.डी.पी.सी.), थाईलैण्ड को 15 जनवरी, 2014 को 18 महीनों की एक अवधि के लिए 3.40 करोड़ रुपए की एक लागत पर आपदा पश्चात् आवश्यकता विश्लेषण (पी.डी.एन. ए.) पर एक अध्ययन का काम सौंपा गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत के अनुकूल मानकीकृत पी.डी.एन.ए. उपकरणों को तैयार करना, भारत में पी.डी.एन.ए. की पूरी प्रणाली के पुनर्गठन, और नए पी.डी.एन.ए. उपकरणों को मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकृत करना है। ए.डी.पी.सी. ने तीन डेलिवरेबल्स तक का काम पूरा कर लिया है और उसे एन.आई.डी.एम. की तकनीकी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह अध्ययन कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। इस पर आज तक 0.45 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

वित्तीय प्रबंधन

4.6 भारत सरकार द्वारा 2014–15 के दौरान 260.98 करोड़ रुपए सहित मार्च, 2015 तक परियोजना के लिए 675.42 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई है। राज्यों के अंशदान सहित परियोजना के अंतर्गत 968.93 करोड़ रुपए के एक कुल आबंटन में से, दिनांक 31.03.2015 तक 879.41 करोड़ रुपए की एक राशि का उपयोग किया जा चुका है।

एन.सी.आर.एम.पी. (अतिरिक्त वित्तपोषण)

4.7 एन.सी.आर.एम.पी.–**I** के अंतर्गत खड़े आधारढांचे का चक्रवात पैलिन जिसने अक्तूबर, 2013 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को प्रभावित किया, से पहले, दौरान और बाद में उपयोग किया गया और लोगों को एम.पी.सी.एस. में शरण देकर समय पर सुरक्षित बाहर निकाला गया जिससे मौतों की संख्या में कमी आई। तथापि, चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा में चक्रवात पैलिन से निपटते समय कई खामियां नोटिस में आईं। इन खामियों को दूर करने के लिए एन.सी.आर.एम.पी. (अतिरिक्त वित्तपोषण) का प्रतिपादन किया गया। इस प्रस्ताव का कुल परिव्यय 835 करोड़ रुपए (134.6 मिलियन अमरीकी डॉलर) है जिसमें विश्व बैंक से 104.08 मिलियन अमरीकी डॉलर (645.50 करोड़ रुपए) का ऋण और वर्तमान एन.सी.आर.एम.पी. में दी गई व्यवस्था के अनुसार घटक–ख के अधीन राज्य सरकारों द्वारा 30.52 मिलियन अमरीकी डॉलर (189.50 करोड़ रुपए) का 25% कांउटरपार्ट अंशदान शामिल होगा।

4.8 विश्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, गृह मंत्रालय/ एन.डी.एम.ए. और संबंधित राज्यों के बीच एन.सी.आर.एम. पी. (अतिरिक्त वित्तपोषण) की वार्ताओं का आयोजन किया गया। 27.01.2015 को ई.एफ.सी. की बैठक आयोजित की गई और गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई मंत्रिमंडल टिप्पणी अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण– II

4.9 एन.सी.आर.एम.पी.–II का परिव्यय 2361.25 करोड़ रुपए (387.04 मिलियन अमरीकी डॉलर) है जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा शामिल हैं। विश्व बैंक का निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में हैं जिसमें 1881.10 करोड़ रुपए (308.40 मिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि का अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई.डी.ए.) क्रेडिट है। 480.15 करोड़ रुपए (78.7 मिलियन अमरीकी डॉलर) की शेष राशि का अंशदान पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है (घटक–ख के अंतर्गत)। व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.), जिसने 27.01.2015 को परियोजना पर विचार किया था, ने इसकी सिफारिश की है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमंडल टिप्पणी अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

प्रशमन प्रभाग, एन.डी.एम.ए. द्वारा की गई पहलें (इनिशिएटिव्स)

4.10 प्रशमन प्रभाग ने विविध विषयों पर प्रायोगिक परियोजनाएं और अध्ययन का काम हाथ में लिया है जिनमें प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चिकित्सा तैयारी, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाओं आदि समेत प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण)

4.11 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण) को 24.87 करोड़ रुपए के एक परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

- प्रौद्योगिकीय–कानूनी प्रणाली जिसमें संबंधित शहरों/राज्यों में प्रौद्योगिकीय–कानूनी प्रणाली को अपनाना एवं अपडेट करना शामिल हैं।
- सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षितों का एक पूल तैयार करने में इंजीनियरिंग संसाधन संस्थानों से काम लेना एवं संकाय संसाधन सर्वेक्षण शामिल हैं।
- भूकंपरोधी निर्माण कार्यों में कार्यरत शिल्पियों (आर्किटेक्टों), इंजीनियरों एवं राज–मिस्त्रियों का क्षमता निर्माण।
- राष्ट्रीय स्तर पर और सभी संवेदनशील राज्यों में जन जागरूकता एवं सुग्राहीकरण।

4.12 यह परियोजना 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जो भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में आते हैं, में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य संस्थानों के साथ समन्वय से एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रही है।

4.13 इस परियोजना के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- मॉडल भवन निर्माण उप–नियमों और भूकंपरोधी निर्माण और योजना मानकों को अपनाने की आवश्यता पर प्रमुख हितधारकों की बड़ी हुई जागरूकता।
- भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में सभी लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहर एवं राज्य स्तरों पर मॉडल भवन निर्माण उप–नियमों को अपनाने हेतु अनुपालन।
- पुनः मरम्मत दिशानिर्देशों का विकास।
- भूकंपरोधी निर्माण प्रथाओं का संवर्धन।
- 150 संकाय सदस्यों/शिक्षकों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 450 प्रशिक्षिकों हेतु 5 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स।
- लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 750 सिविल इंजीनियरों, 1050 आर्किटेक्टों एवं राज–मिस्त्रियों हेतु 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप के प्रति संकेंद्रित (फोकस्ड) जागरूकता अभियान।

4.14 सचिव, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति (एन.एस.सी.) का गठन कर लिया

गया है। अब तक एन.एस.सी. की दो बैठकें आयोजित की गई हैं। परियोजना को एन.एस.सी. के निर्णयों के अनुसार लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना को, दिनांक 11/08/2014 को एन.एस.सी. द्वारा इसकी बैठक में यथा अनुशंसित कार्यकलापों और लागत अनुमानों के संबंध में, संशोधित किए जाने की संभावना है।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.)

4.15 एन.डी.एम.ए. ने भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम (एल.आर.एम.एस.) का प्रस्ताव किया है भूस्खलन प्रवण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थल–विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता परिकल्पित करती है जिसके अंतर्गत आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा प्रशमन और संवेदनशील भूस्खलनों की मॉनीटरिंग में अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) के काम शामिल हैं जिसके द्वारा पूर्व चेतावनी तंत्र और क्षमता निर्माण पहलें विकसित होती हैं। योजना आयोग ने स्कीम को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दे दिया है। उत्तराखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रवण राज्यों और अन्य राज्यों जिनसे एल.आर.एम. एस. के अंतर्गत प्रशमन उपायों को करने के लिए सर्वाधिक असुरक्षित स्थलों की पहचान करने और डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, के परामर्श से यह स्कीम तैयार होने की प्रक्रिया के अधीन है। डी.पी.आर. में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक मानक टैम्पलेट् विकसित किया जा रहा है।

बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर.एम.एस.)

4.16 प्रशमन प्रभाग ने "बाढ़ जोखिम प्रशमन स्कीम (एफ.आर.एम.एस.)" प्रतिपादित की है जिसमें निम्नलिखित कार्यकलापों पर राज्यों/संगठनों के प्रस्तावों/स्कीमों के वित्तपोषण पर विचार करने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है:

- मॉडल बहु–उद्देश्यीय बाढ़ आश्रयों के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं; और
- बाढ़ की दशा में निकास के लिए ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देने के लिए बाढ़ मॉडलों को तैयार करने के लिए नदी घाटी–विशिष्ट बाढ़–पूर्व चेतावनी प्रणाली और डिजिटल एलिवेशन मानचित्रों का विकास।

4.17 स्कीम में कार्यकलापों के स्पष्टीकरण/पहचान के काम के लिए इस मामले को जल संसाधन मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

4.18 वर्तमान में, चलाई जा रहीं अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं/अध्ययन निम्नानुसार हैः

उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने का काम

4.19 यह परियोजना देश/राज्यों/जिलों/उप– मंडलों के लिए 76.83 लाख रुपए की लागत पर उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने से संबंधित है। इस परियोजना का काम भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में उचित समय पर जिला सीमा आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण देर हुई। तथापि, दिसंबर, 2014 में, भारत के महापंजीकार द्वारा बी.एम.टी. पी.सी. को आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस परियोजना के कुछ महीनों में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

मृदा पाइपिंग परियोजना

4.20 मृदा पाइपिंग केरल में हाल में देखी गई एक घटना है। सतह के नीचे (सब–सर्फेस) मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया एक खतरनाक आपदा है क्योंकि मिट्टी का कटाव भूमि के नीचे होता है। यह एक नई घटना है जिसके अध्ययन के लिए एवं प्रशमन हेतु उपायों को सुझाने के लिए उचित अन्वेषण की आवश्यकता है। यह परियोजना प्रगति पर है और इस परियोजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

4.21 परियोजना के लिए एन.डी.एम.ए. की कुल सहायता राशि 49.70 लाख रुपए जिसमें से अब तक 36.67 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं।

एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्यः पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहु–राज्यीय तैयारी अभियान

4.22 एन.डी.एम.ए. सी.एस.आई.आर.–पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट और अन्य संस्थानों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता के आकलन के लिए एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया है जिसमें सिक्किम सहित सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को कवर

किया जा रहा है ताकि किसी बड़े भूकंप के असर को समझा जा सके और ऐसी किसी घटना के लिए क्षमता निर्माण और बहु–राज्यीय तैयारी को सुकर बनाया जा सके।

4.23 परियोजना में सी.एस.आई.आर.–पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.) के माध्यम से शिलांग 1897 भूकंप का परिदृश्य तैयार करना और अन्य कार्यकलाप जैसे रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग कार्यशालाएं, स्कूली बच्चों के सुग्राहीकरण पर कार्यशालाएं, जागरूकता सृजन, क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समन्वय का काम शामिल हैं तथा वृहत् कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 6.20 करोड़ रुपए है और परियोजना पूर्णता के अग्रिम चरण में है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत चक्रवात आश्रय–केंद्रों का निर्माण

4.24 पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में 138.65 करोड़ रुपए की लागत से 50 चक्रवात आश्रय केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। 30 चक्रवात आश्रय केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें राज्य सरकार को सौंपा जा चुका है।

4.25 केरल राज्य के वढकरा (कोझीकोडे जिला) में एक चक्रवात आश्रय–केंद्र बना कर तैयार किया गया है और उसे केरल सरकार को 17.10.2014 को सौंपा गया है।

4.26 लक्षद्वीप के मिनिकोए द्वीप पर एक चक्रवात आश्रय केंद्र का निर्माण योजना के अधीन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) की वित्तीय सहायता के अनुमोदन के अंतर्गत है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एम.आर.डी.एस.)

4.27 विकिरणकीय आपातस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की तैयारी पर एन.डी.एम.ए. ने, अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में, 50 से अधिक राजधानी और महानगर/देश के अन्य शहरों में चिह्नित पुलिस थानों के निगरानी वाहनों को साधारण मॉनीटरिंग उपकरणों और वैयक्तिक सुरक्षा वस्त्रों/सामानों के साथ लैस करने का निर्णय लिया है। चल विकिरण जांच प्रणाली (एम.आर.डी.एस.) नामक इस परियोजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 525.80 लाख रुपए और अगली योजना में 171.33 लाख रुपए की लागत पर एक प्रायोगिक स्कीम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार किए जाने के अंतर्गत है।

भूकंप समुत्थानशील कोडों पर बी.आई.एस. के साथ विचार–विमर्श

4.28 एन.डी.एम.ए. द्वारा की गई पहल पर, बी.आई.एस. ने सभी भूकंप संबंधित कोडों का संशोधन कार्य शुरू कर दिया है जो पूरा होने के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत है। इसके अलावा, विभिन्न विषयों जैसे कार्य क्षमता आधारित डिजाइन, इमारतों की भूकंपीय मरम्मत–राजगीरी, नई इमारतों का भूकंपीय डिजाइन और ब्यौरा–इस्पात (स्टील), पुलों का भूकंप पश्चात क्षति आकलन, वाटर टैंक, पाइपलाइनों, संचार टावरों और तटीय इमारतों के बारे में कोड भी बनाए जा रहे है।

संचार नेटवर्कों और आई.सी.टी. आधारढांचे का सुदृढ़ीकरण

4.29 एन.डी.एम.ए. ने बहु–खतरा जोखिम प्रवण जिलों और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के जिलों और उनके संबंधित जिला मुख्यालयों में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दो परियोजनाओं पर विचार किया है:

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस)–प्रायोगिक परियोजना

ii. नाभिकीय ऑफसाइट आपातस्थितियों से निपटने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.एन.ओ.ई.)।

4.30 प्रस्तावित स्थान (लोकेशन) निम्नानुसार हैं:

i. एन.डी.एम.एस. प्रायोगिक परियोजना (16 स्थान)

क. गृह मंत्रालय

ख. एन.डी.एम.ए.

ग. असम (गुवाहाटी, सिलचर एवं बारपेटा)

घ. हिमाचल प्रदेश (शिमला, मंडी एवं कांगड़ा)

ङ. उत्तराखंड (देहरादून, चमोली एवं रुद्रप्रयाग)

च. तेलंगाना (हैदराबाद, खम्माम एवं महबूबनगर)

छ. गुजरात (राजकोट एवं कच्छ)

ii. डी.एस.एस.एन.ओ.ई. (13 स्थान)

क. उत्तर प्रदेश (लखनऊ एवं बुलंदशहर)

ख. तमिलनाडु (चेन्नई, कांचीपुरम एवं तिरनुलेवली)

ग. गुजरात (गांधीनगर एवं सूरत)

घ. कर्नाटक (बेंगलुरु एवं उत्तरी कन्नड़)

ङ. महाराष्ट्र (मुम्बई एवं ठाणे)

च. राजस्थान (जयपुर एवं चित्तौड़गढ़)

4.31 ये परियोजनाएं स्थानीय प्रशासन को विभिन्न एजेंसियों नामतः भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी. डब्ल्यू.सी., एन.आर.एस.सी., आई.एन.सी.ओ.आई.एस., परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.), एन.पी.सी. आई.एल., जी.एस.आई. आदि, से निविष्टियों (इनपुट्स) के आधार पर बचाव और राहत अभियानों में मदद करेंगी। दोनों परियोजनाएं विभिन्न फीडों (ऑडियो, वीडियो और डेटा फीड) के एकीकरण के माध्यम से सभी हितधारकों को आपदा स्थल से आपदा का एकल अवलोकन उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा, क्षति आकलन मॉडल भी तैयार किए जाएंगें।

4.32 इन परियोजनाओं में भू–भागीय उपकरणों के साथ–साथ उपग्रह संचार उपकरणों के संघटन द्वारा प्रतिबद्ध आपदा संचार नेटवर्क का सृजन शामिल है अर्थातः

i. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.)/ यू.जी. केबल

ii. वीसेट, आई.एन.एम.ए.आर.एस.ए.टी., डी.एस.पी.टी.

iii. एच.एफ., वी.एच.एफ. रेडियो

iv. मौजूदा एल.ए.एन./डब्ल्यू.ए.एन. का संघटन

4.33 परियोजना के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग, कार्यान्वयक एजेंसी है। इस परियोजना में 36.78 करोड़ रुपए की लागत शामिल है।

अध्याय–5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन अभियान चलाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधता और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का वार्षिक कलैंडर

5.3 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के वार्षिक कलैंडर में एन.डी.एम.ए. अधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाएं, विषय–आधारित सम्मेलन/नीति कार्यशालाएं, आपदा कार्रवाई, संचार, मनो–सामाजिक देखभाल और समन्वय में सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखे गए सबकों पर कार्यशाला, औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम समुत्थानशीलता, वहनीयता और व्यापारिक निरन्तरता पर सम्मेलन, आपदा प्रबंधन पर विभिन्न विषयगत मुद्दों पर प्रख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों के द्वारा वार्ताओं के माध्यम से लघु गोष्ठियां शामिल हैं।

5.4 आज तक छह अर्द्ध–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के बारे में एन.डी.एम.ए. के चालू प्रयासों सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों/पहलुओं पर आंतरिक एवं बाह्य वक्ताओं द्वारा एक विहंगावलोकन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। कार्यशालाओं के विषय एवं तिथियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तिथि	विषय
9 मई, 2014	आपदा प्रबंधन का एक विहंगावलोकन–आपदा समन्वय, आई.टी. और संचार में एफ.ओ.सी. की भूमिका
16 जून, 2014	आपदा प्रबंधन में जी.आईएस. प्रौद्योगिकी का उपयोग, आपदा प्रबंधन में मनो–सामाजिक सहायता और देखभाल
22 सितंबर, 2014	आपदा प्रबंधन में एन.डी.आर.एफ. की भूमिका और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भूमिका
13 नवंबर, 2014	आपातस्थितियों में जन स्वास्थ्य–इबोला संबंधित चिंताएं
4 मार्च, 2015	भारत में विकिरणकीय आपातस्थितियां तथा उनसे बचने की तैयारी संबंधी उपाय
30 मार्च, 2015	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बदलते प्रतिमान

अन्य संगठनों के साथ आपदा प्रबंधन पर सम्मेलनों / गोष्ठियों / कार्यशालाओं का संचालन

5.5 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल पांच सम्मेलन / गोष्ठियां संचालित की गई जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है

सम्मेलन की तिथि	विषय	आयोजक
25.07.2014	जयपुर में आपदाः रोकथाम, राहत और पुनर्वास पर सम्मेलन	पी.एच.डी.सी.सी.आई.
17.09.2014	जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन	एसोचैम
14.11.2014	समुदाय में समुत्थानशीलता निर्माण हेतु आपदा कानून पर कार्यशाला	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
19.11.2014	आपदाओं की पूर्व–चेतावनी हेतु ज्योइंफोर्मैटिक्स	इंडियन सोसायटी ऑफ ज्योमैटिक्स, शिलांग
30.12.2014	पूर्व–चेतावनी और आपदा प्रशमन हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित परियोजना

5.6 एल.बी.एस.एन.ए.ए. में आपदा प्रबंधन केंद्र में केंद्रीय सेवा कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु परियोजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में नियमित अपडेटों के साथ बेसिक फांउडेशन कोर्सों के अंदर आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए 2.16 करोड़ रुपए की राशि के साथ जारी रहेगी। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 903 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया।

5.7 100% केंद्र प्रायोजित प्रदर्शनात्मक परियोजना के रूप में 48.47 करोड़ रुपए की कुल लागत परिव्यय के साथ

जून, 2011 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.)–एक प्रदर्शनात्मक परियोजना" राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) के सहयोग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी में 24 महीनों की एक समयावधि में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में, बच्चों तथा स्कूल समुदाय को आपदा से निपटने की तैयारी और सुरक्षा उपायों पर सुग्राहीकृत करने से उद्देश्य से भूकम्पीय क्षेत्र IV और V में पड़ने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के चुनिंदा जिलों में से प्रत्येक में 200 स्कूलों को कवर किया जा रहा है।

5.8 इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित संघटकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों का प्रतिपादन किया जा चुका है और यह वर्तमान में अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया है ;
- स्कूल सुरक्षा पर एन.आई.डी.एम. द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है ;
- 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में 43 चिह्नित जिलों में अध्यापकों, स्कूल स्टाफ, इंजीनियरों, जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता निर्माण (15 अध्यापकों को मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया और प्रति जिला 500 अध्यापकों को स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षित किया गया) ;
- स्कूली बच्चों, अभिभावकों, अध्यापकों, स्कूल प्रशासकों और वृहत्तर समुदाय को स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सूचना, शिक्षा, संप्रेषण (आई.ई.सी.) सामग्री तैयार एवं परिचालित करना ;
- स्कूल आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करना (प्रत्येक जिले में 200) ;
- आपदा से निपटने हेतु तैयारी के थैलों का वितरण (प्रत्येक जिले में 200) ;
- कृत्रिम कवायदों का संचालन (प्रत्येक जिले में 200 स्कूल) ;
- सभी 8600 स्कूलों में रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग सहित गैर–संरचनात्मक उपाय ;
- प्रत्येक जिले में कम से कम 1500 छात्रों वाले एक मॉडल सेकेण्ड्री स्कूल में प्रदर्शनात्मक, संरचनात्मक मरम्मत कार्य (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हर जिले में 22 स्कूलों को कवर करने वाली परियोजना) ;

5.9 इस परियोजना की आयु जून, 2013 तक थी। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान जिसका पूर्ण उपयोग नहीं हुआ, के आवंटन के परिप्रेक्ष्य में, परियोजना अभी कार्यान्वयन मोड में है। इस परियोजना को 11वीं से 12वीं योजना में अग्रेनीत करने के लिए व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार परियोजना का स्वतंत्र मूल्यांकन यू.एन.डी.पी. द्वारा किया गया। तत्पश्चात जून, 2013 से आगे परियोजना को विस्तार देने के मामले को नवंबर, 2014 में गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 47–23/2008–डी.एम.–II/1735–1739 दिनांक 01.01.2015 के द्वारा परियोजना को 30.06.2015 तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया है।

5.10 5 राज्यों के 10 बहु–विपदा ग्रस्त जिलों में आपदा जोखिम में वहनीय न्यूनीकरण पर परियोजना को फरवरी, 2015 में अनुमोदित किया गया। इस परियोजना को उत्तराखंड, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर के राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। परियोजना की लागत दो वर्ष की एक अवधि के लिए 6.074 करोड़ रुपए है। कार्यकलापों में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, राज्य आपदा प्रबंधन रणनीति की योजना बनाने के लिए कार्यशाला, आपदा प्रबंधन योजनाओं का संशोधन और अवपडेशन, राज्य–स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, गैर–सरकारी संगठनों, डी.एम.टी. सदस्यों का प्रशिक्षण, जिला आपदा प्रबंधन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री, मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को तैयार करना आदि शामिल है।

पूर्ण की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन

5.11 वर्ष 2012–13 के दौरान प्रारंभ होने वाली निम्नलिखित पूर्ण की गईं परियोजनाओं को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के पास मूल्यांकन के लिए भेजा गया है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	मूल्यांकन की टिप्पणियां
1.	आपदा रोकथाम, तैयारी, प्रशमन, कार्रवाई और पुनर्बहाली के क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना।	मूल्यांकक ने इस बात पर जोर दिया है कि परियोजना की रिपोर्ट में प्रयासों और उसके परिणाम को अधिक राज्यों तथा जिलों में दोहराया जाए, ताकि इग्नू द्वारा प्रारंभ प्रक्रियाओं को अनुरूप बनाने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु कारगर क्षमता निर्माण किया जाए।
2.	जय प्रकाश नारायण शीर्ष ट्रॉमा केंद्र में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता पर परियोजना।	• मूल्यांकक ने कोर्सों में बेहतर और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया, भागीदारों को कम से कम छह सप्ताह अग्रिम में पंजीकृत किया जाने की आवश्यकता है। • भागीदारों के टी.ए.(यात्रा भत्ता)/डी.ए. (यात्रा भत्ता) पर होने वाले सभी खर्चों पर संबंधित राज्यों द्वारा निपटाया जाएगा। • नोडल अधिकारियों को परियोजना के महत्त्व के बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए। • वे डॉक्टर और नर्स जिन्हें ए.टी.एल.एफ. और ए.टीसी.एन.कोर्सों में प्रशिक्षण दिया गया था, वे बिना किसी औपचारिक ऑन–साइट प्रशिक्षण के .आई पी.एच.,टी एल. एस. और आर.टी.डी.सी.कोर्सों के लिए मास्टर प्रशिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं।
3.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में आपदा प्रबंधन हेतु केंद्र में केंद्रीय सेवाओं से आई.ए.एस./अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना।	मूल्यांकक ने सुझाव दिया: • पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु के मूल्यांकन के लिए, प्रकरण अध्ययन विकसित किए गए और परियोजना में शामिल किए गए। • प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों/संकाय सदस्यों जिन्होंने पाठ्यक्रम विकसित किया और अंतिम रूप में उपलब्ध कराया, के अनुभवों और फीडबैक का दस्तावेज तैयार करना। • भागीदारों के फीडबैक का मूल्यांकन करना।

		• पर्याप्तता उपयोग, प्रांसगिकता और वहनीयता के संबंध में परियोजना के वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करना। • ऐसे कार्यक्रम की बेहतर भविष्यकालीन डिलीवरी के लिए यदि पाठ्यक्रम संचालन, उसकी विषय–वस्तु, डिजाइन और डिलीवरी में संशोधन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव करना।
4	आई.आई.टी. मुंबई और मद्रास के सहयोग से एम. डब्ल्यु.–8 भूकम्प बहु–राज्यीय परिदृश्य निर्माण।	मूल्यांकक ने निम्नलिखित कार्य–बिंदुओं का सुझाव दिया: • वृहत् कृत्रिम अभ्यासों हेतु प्रभावी पूर्व योजना निर्माण मास एवं सोशल मीडिया के उपयोग का समयबद्ध उपयोग। • राज्य और जिला अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभ्यासों की योजना बनाने में एक बॉटम अप्रोच अपनाई जाए। • शेक आउट अभ्यासों के लिए निजी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जाए और इन अभ्यासों को इन संस्थानों में एक नियमित मासिक विशेष कार्यक्रम (फीचर) बनाया जाए। • आर.वी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, दो दिवसीय 'हैंड ऑन' प्रशिक्षण के साथ, न्यूनतम 5 दिनों की होनी चाहिए। • आर.वी.एस. प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रशिक्षुओं के पास स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग में अनुभव की पर्याप्त पृष्ठभूमि होनी चाहिए। • सभी लाइसेंससुदा और पंजीकृत कार्यरत सिविल इंजीनियरों, आर्किटेक्टों और शहर नियोजकों के लिए ई.डी.पी. को अनिवार्य बनाना चाहिए।

अंतराष्ट्रीय सहयोग

एन.डी.एम.ए. का दौरा करने वाला शिष्टमंडल

फ्रांसीसी शिष्टमंडल का दौरा

5.12 फैवरिके ग्रोसिव, पुलिस आयुक्त, पुलिस अटैची, फ्रांस दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय, नई दिल्ली में पूर्व सदस्य श्री के.एन. श्रीवास्तव और श्री के.एम. सिंह के साथ 28.04.2014 को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फ्रांस और इसके द्वीपों की आपदाओं से असुरक्षितता के संदर्भ में एन.डी.एम.ए. की विशेषज्ञता पर बातचीत के लिए मुलाकात की।

आस्ट्रिया के शिष्टमंडल का दौरा

5.13 फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के श्री माइकल लैडरर, वरिष्ठ सलाहकार की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आस्ट्रियन प्रौद्योगिकियों की प्रस्तुति के लिए 10.09.2014 को संयुक्त सचिव (प्रशमन), एन.डी.एम.ए. से मुलाकात की।

मॉरीशस के शिष्टमंडल का दौरा

5.14 11 सितंबर, 2014 को मॉरीशस के एक शिष्टमंडल ने एन.डी.एम.ए. का दौरा किया और "आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन" के विषय पर परिचर्चा की।

जर्मन शिष्टमंडल का दौरा

5.15 श्री फ्रेंच–जोसेफ मॉलीटोर, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इम्पीरियल, जर्मनी की अगुवाई में एक जर्मन शिष्टमंडल ने एन.डी.एम.ए. में 23 जनवरी, 2015 को आयोजित एक बैठक में आपदा प्रबंधन में भारत–जर्मन सहयोग के बारे में विषयों पर परिचर्चा के लिए, सचिव, एन.डी.एम.ए. से मुलाकात की।

नानसेन इनिशियेटिव का दौरा

5.16 नानसेन इनिशियेटिव के, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का असर के संदर्भ में सीमा पार के अस्त–व्यस्त/उजड़े हुए लोगों की जरूरतों पर परिचर्चा के लिए शिष्टमंडल के साथ एक बैठक 22 जनवरी, 2015 को एन.डी.एम.ए. में आयोजित की गई।

जर्मन व्यापार शिष्टमंडल का दौरा

5.17 श्री उबे बेकमेयर, संसदीय राज्य सचिव, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड एनर्जी की अगुवाई में जर्मनी से आए व्यापार शिष्टमंडल के साथ एन.डी.एम.ए. में 17 फरवरी, 2015 को सचिव, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

बांग्लादेश शिष्टमंडल का दौरा

5.18 बांग्लादेश के शिष्टमंडल के साथ एक बैठक 18 फरवरी, 2015 को एन.डी.एम.ए. में संयुक्त सचिव (प्रशमन एवं सी.बी.टी.) की अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित की गई। शिष्टमंडल ने भारत के आपदा प्रबंधन प्रणाली/सांस्थानिक रुपरेखा को समझने में रुचि दर्शायी।

मॉरीशस के शिष्टमंडल का दौरा

5.19 श्री जयेश्वर राज दयाल, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपातकालीन केंद्र और मॉरीशस गणराज्य समुद्र–तट प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की और पहचान करने के लिए 6 फरवरी, 2015 को एन.डी.एम.ए. का दौरा किया।

आस्ट्रिया के शिष्टमंडल का दौरा

5.20 महामहिम श्रीमती एलिजाबेथ टीचि–फिस्ल बर्गर, उप विदेश मंत्री, आस्ट्रिया की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने 20 मार्च, 2015 को एन.डी.एम.ए. का दौरा किया। उन्होंने सूचित किया कि शिष्टमंडल कॉन्सुलर प्रोटेक्शन के लिए भारत की आकस्मिकता आयोजना प्रक्रिया को समझना चाहता है ताकि बड़ी संख्या में आस्ट्रियाई निवासी हिमालयी क्षेत्र को ट्रैकिंग और अन्य पर्वतीय रोमांचों के लिए जा सकें।

अनुवर्ती (फॉलोअप) मामले

भूकम्प जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय ढांचा बनाने के विषय पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (ई.ए.एस.)–भारत कार्यशाला पर अनुवर्ती (फॉलोअप) कार्रवाई

5.21 4 और 5 दिसंबर, 2014 को ए.एस.ई.एम. देशों के बीच आपदा से बचाव के प्रयासों के लिए प्रौद्योगिकी में नवाचारों पर दो दिवसीय गोलमेज सम्मेलन और वर्चुअल नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन और ई.ए.एस. देशों की 24×7 पी.ओ.सी. की बैठक का आयोजन किया गया। यह 8–9 नवंबर, 2012 को नई दिल्ली में भूकम्प जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय ढांचा बनाने के विषय पर आयोजित पहली ई.ए.एस. –भारत कार्यशाला की एक अनुवर्ती कार्रवाई थी।

काठमांडू में 18वें सार्क समिट के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की कार्यान्वयन प्रास्थिति पर अनुवर्ती (फॉलोअप) कार्रवाई

5.22 एन.डी.एम.ए. ने क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव और चिकित्सा की पहली कार्रवाई के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) के माध्यम से आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण में कार्यक्रम और (क) डी.आर.आर., सी.सी.ए. को विकास कार्य में प्रमुख स्थान देने/एकीकृत करने हेतु स्थानीय सरकार की क्षमता को

सुदृढ़ करना (ख) शहर विकास योजनाओं (सी.डी.पी.) में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सी.सी.ए.) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) को मुख्य स्थान देने, के संबंध में क्षमता निर्माण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा कोर्सों को संचालित करने की पेशकश की है। सार्क देशों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर किए जा रहे प्रयासों पर अन्य संगठनों से भी ब्यौरे मांगें गए। इस बारे में, सार्क देशों में आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर इसरो, आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एस.ए.एस.ई. और आई.एम.डी. के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर मंत्रालयीन बैठक 9 मार्च, 2015 को आयोजित की गई। इन संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को सार्क देशों के क्षमता निर्माण हेतु गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

एस.ई.डी.एम.सी. की स्थापना

5.23 एन.डी.एम.ए. ने 6 फरवरी, 2015 को सार्क पर्यावरण और आपदा प्रबंधन केन्द्र (एस.ई.डी.एम.सी.) की स्थापना पर संकल्पना पत्र में अपनी निविष्टियों (इनपुट्स) को भेजा है। इन संकल्पना पत्रों पर अप्रैल, 2015 के पहले सप्ताह में काठमांडू में परिचर्चा किया जाना तय किया गया है।

मंत्रिमंडल हेतु मसौदा नोट पर इनपुट्स

5.24 भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस और सेशल्स सरकार के बीच महासागरीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रूपरेखा पर प्रोटोकॉल हेतु मंत्रिमंडल के लिए मसौदा नोट पर एन.डी.एम.ए. की टिप्पणियों को भेजा गया।

इनसारग बाहरी वर्गीकरण हेतु नीति प्रस्ताव

5.25 23.10.2013 आयोजित सी.ओ.एस. बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ यह भी तय किया गया कि एन.डी.एम.ए. एक नीति प्रस्ताव को, एन.डी.आर.एफ. टीम के इनसारग (यू.एन.ओ.सी.एच.ए.) बाहरी वर्गीकरण (आई.ई.सी.) के लिए, प्रतिपादित करेगा जिसमें एन.डी.एम.ए. के वित्तीय और राजनयिक निहितार्थ और प्रचालनात्मक प्राधिकार भी स्पष्ट किए जाएंगे। तदनुसार, सभी संगत हितधारकों के साथ परामर्श से एन.डी.एम.ए. ने 25 जून, 2014 को मसौदा नीति प्रस्ताव तैयार किया और गृह मंत्रालय के माध्यम से हितधारकों के पास टिप्पणी हेतु अग्रेषित किया।

"पैलिन चक्रवात 2013 : सीखे गए सबक" पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5.26 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) ने 30 मार्च, 2014 को "पैलिन चक्रवातः सीखे गए सबक" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चक्रवात पैलिन से सीखे गए सबकों पर परिचर्चा करना और इस आपदा से निपटने की कार्रवाई की सफलता में इस्तेमाल की गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालना था।

5.27 डॉ. के. सलीम अली, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) इस कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला का प्रथम सत्र आपदा पूर्व चेतावनी और कार्रवाई पर आधारित था जिसमें श्री के.एम. सिंह, माननीय सदस्य, एन.डी.एम.ए ने ओडिशा तीव्र आपदा कार्रवाई बल (ओ.आर.डी.ए.एफ.) के कार्यों की प्रशंसा की और आपदा प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में जागरूकता सृजन और कृत्रिम कवायदों की जरूरत पर जोर दिया।

5.28 कार्यशाला के सत्र संख्या दो जिसका फोकस चक्रवात पैलिन के दौरान समन्वय, प्रशासनिक और सामुदायिक विशयों पर था, की अध्यक्षता प्रोफेसर वी.के. शर्मा, उपाध्यक्ष, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई और इसकी सह–अध्यक्षता श्री जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालयः श्री अनिल के. सिन्हा, उपाध्यक्ष, बी.एस.डी.एम.ए.; और डॉ. अजित त्यागी, पूर्व महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई। इस सत्र के दौरान पांच प्रस्तुतियां आयोजित की गईं जिनमें सशस्त्र बलों, विद्युत क्षेत्र और जिला प्रशासन को कवर किया गया।

उद्घाटन सत्र के दौरान एन.डी.एम.ए. के सदस्य डॉ. के सलीम अली, बी.एस.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष श्री ए.के. सिन्हा, जी.आई.डी.एम. के महानिदेशक डॉ. पी.के मिश्रा, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री संजीव मरिक और कार्यकारी निदेशक, एन.आई.डी.एम.

5.29 दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता डॉ. एच.के. गुप्ता, सदस्य, एन.डी.एम.ए. द्वारा और इसकी सह–अध्यक्षता श्री अनिल के. सिन्हा, उपाध्यक्ष, बी.एस.डी.एम.ए. द्वारा की गई। इस सत्र में भावी चक्रवात संबंधी जोखिम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रणनीति बनाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला और इसका कैसे कारगर प्रबंधन किया जा सकता है– परिचर्चा की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया

5.30 एन.डी.एम.ए. ने 8 अक्टूबर, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आपदा "जोखिम न्यूनीकरण दिवस" मनाया। यह "आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु गृह सुरक्षा और स्थानीय तैयारी" के महत्त्वपूर्ण विषय पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर था। सुश्री स्नेहलता कुमार, सचिव (आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय): श्री ओ.पी. सिंह, महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ.: श्री अनिल सिन्हा, उपाध्यक्ष, बिहार–एस.डी.एम.ए.: प्रोफेसर वी.के. शर्मा, उपाध्यक्ष, सिक्किम–एस.डी.एम.ए. और कई अन्य गणमान्य अतिथियों, अधिकारियों एवं बच्चों ने इस अवसर की गरिमा को बढ़ाया। डॉ. सतेन्द्र, कार्यकारी निदेशक, एन.आई.डी.एम. ने इस अवसर पर विभिन्न प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रतिनिधियों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षमता निर्माण के द्वारा आपदाओं के प्रबंधन में एन.आई.डी.एम. और इसके योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा दिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के दौरान "जंगल आग आपदा प्रबंधन" शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन

5.31 एन.आई.डी.एम. ने देश के स्कूलों में एक पोस्टर बनाओ–प्रतियोगिता का आयोजन किया और आपदा न्यूनीकरण दिवस के दौरान विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। डॉ. सतेन्द्र और डॉ. ए.डी. कौशिक द्वारा संयुक्त रूप से "जंगल आग आपदा प्रबंधन" शीर्षक से लिखी गई किताब का भी विमोचन किया गया"। उद्घाटन सत्र के बाद "आपदा प्रबंधन में बच्चे और अपंगता" विषय पर एक विशेष तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया।

अध्याय–6

कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरूकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का एक आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहलें आरंभ की हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए साक्षात्कार लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी किए जा रहे हैं। कृत्रिम अभ्यास अति महत्त्वपूर्ण पहलों में से एक पहल है जिसे एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं, दोनों के लिए आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुकर बनाने हेतु आरंभ किया है और जन जागरूकता सृजित करने के साथ कार्रवाई क्षमताओं का मूल्यांकन करना आरंभ किया है। ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित किए जाते हैं।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपात कार्रवाई योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह–क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। यह अभ्यास अति संवेदनशील वर्गों को भी आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

6.3 ये अभ्यास चरण–दर–चरण (स्टेप–बाई–स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय–अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाई जानने के लिए टेबल टॉप अभ्यास किए जाते हैं। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों से साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य पर किया जाता है तथा विभिन्न सहभागियों की कार्रवाई को ध्यान में रखकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन वर्ग को भी संसूचित किया जाता है।

6.4 जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में कृत्रिम अभ्यास बड़ा सहायक रहा है। इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है। जिला प्रशासन, कार्पोरेट सेक्टर और

अन्य प्रथम प्रतिक्रियादाताओं ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने लोगों की बड़ी संख्या में जागरूकता फैलाने का काम किया।

जागरूकता अभियान

6.5 आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने अपने प्रयास में जनसंपर्क एवं जागरूकता सृजन (पी.आर एंड ए.जी.) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस अभियान का फोकस लक्षित श्रोताओं (जनता) पर असर डालकर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। ये जागरूकता अभियान विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन (टी.वी.), रेडियो, प्रिंट–मीडिया, प्रदर्शनी आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन जागरूकता अभियानों को दो निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर केंद्रित किया गया है:

क) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात बाढ़, भूस्खलन आदि) से निपटने के लिए देश के नागरिकों को तैयार करना।

ख) एन.डी.एम.ए. के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरूकता फैलाना।

6.6 वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाए गए :–

श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विजुअल) अभियान

6.7 भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी राष्ट्रीय आपदाओं और सुरक्षा थैले (सेफ्टी किट) पर ऑडियो–वीडियो स्पॉट तैयार किए गए और उन्हें दूरदर्शन (दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क और प्रादेशिक केंद्र), आकाशवाणी (रेडियो), एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया। बाढ़, भूकम्प और सुरक्षा थैले (किट) पर वीडियो स्पॉटों को डिजिटल सिनेमा के माध्यम से क्रमशः 9 राज्यों के 920 सिनेमाघरों, 22 राज्यों के 947 सिनेमाघरों, 10 राज्यों के 973 सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया है। इसी प्रकार, रेलवे के सभी IV क्षेत्रों में दो महीने के लिए अखिल भारतीय रेल सपंर्क 139 रेलवे पूछताछ, आई.वी.आर. पर भी प्रादेशिक भाषाओं में सुरक्षा थैला पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य दो महीने में लगभग 30 लाख कॉलरों तक पहुँचना था।

प्रिंट अभियान

6.8 जागरूकता सृजन के लिए प्रिंट मीडिया का भी, विभिन्न अखबारों में विज्ञापन निकाल कर, उपयोग किया गया है। 11 राज्यों में बाढ़ पर जागरूकता सृजन हेतु विज्ञापन जारी किए गए। 8 अक्टूबर, 2014 को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस" पर हर एक राज्य की राजधानी में स्थानीय भाषा के एक अखबार में विज्ञापन जारी किया गया। 29 सितंबर, 2014 को एन.डी.एम.ए. के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर, दिल्ली में विज्ञापन जारी किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 के मौके पर, 19 नवंबर, 2014 को दिल्ली के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी किया गया।

एन.डी.एम.ए. के 10वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.9 दिनांक 29.09.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाई और श्री किरन रिजिजू, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि थे। उद्घाटन सत्र के बाद 'पैलिन सफलता कथा–सीखे गए सबक' पर दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और दो नए दिशानिर्देशों (अर्थात स्कूल सुरक्षा पर एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देश और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देश) का विमोचन किया गया। श्री पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे।

34वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में एन.डी.एम.ए. द्वारा भाग लेना

6.10 आम जनता, छात्रों तथा विभिन्न हितधारकों के बीच आपदाओं की विभिन्न किस्मों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने के लिए 14 से 27 नवंबर, 2014 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 34वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में एन.डी.एम.ए. ने भाग लिया।

6.11 प्राधिकरण ने अपने तीन संगठनों–एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ., एन.आई.डी.एम. जो आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, के कार्यकलापों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हॉल संख्या 12 में एक रोचक सूचना पवेलियन लगाई। **श्री पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने** 14 नवंबर, 2014 को एन.डी.एम.ए. के पवेलियन का उद्घाटन किया। मेले के दौरान, विभिन्न आपदाओं पर अनेक पोस्टरों नामतः शहरी बाढ़–क्या करें एवं क्या न करें–अंग्रेजी में, आग– क्या करें एवं क्या न करें–अंग्रेजी में, भूकम्प पर जानकारी–हिन्दी, आपातकालीन थैला (किट)–अंग्रेजी तथा एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा, एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न उपस्कर और रेडियोधर्मी सामग्री जांच उपकरणों आदि का प्रदर्शन किया।

6.12 इसके अलावा, एन.डी.आर.एफ. की क्षमताओं के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने और आपदा प्रबंधन के विषयों पर जनता के सुग्राहीकरण और उनके बीच ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के बारे में हौसला उत्पन्न करने के लिए भी हंसध्वनि ओपन थियेटर में 18 नवंबर, 2014 को भूकंप आपदा पर सजीव प्रदर्शन का संचालन किया गया। 1200 से ज्यादा स्कूली बच्चों और आम जनता ने इस प्रदर्शन को देखा। एन.डी.आर.एफ. द्वारा एक डॉग–शो भी आयोजित किया गया।

6.13 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में जनता द्वारा एन.डी.एम.ए. के स्टॉल को बहुत ज्यादा सराहा गया। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा एन.डी.एम.ए. की पवेलियन को रजत पदक प्रदान किया गया।

अध्याय–7

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल :

7.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित कर लिया है। एन.डी.आर.एफ. की दस बटालियनें अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने हेतु असुरक्षितता विवरण के आधार पर देश के दस विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। चालू वर्ष (2014–2015) के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा यथा अनुमोदित एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनों के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 11वीं एन.डी.आर.एफ. बटालियन के लिए हरिद्वार में भूमि उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांततः सहमति दे दी है। 12वीं बटालियन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। एन.डी.आर.एफ. की वर्तमान दस बटालियनों के स्थान नीचे दर्शाए गए अनुसार हैं:

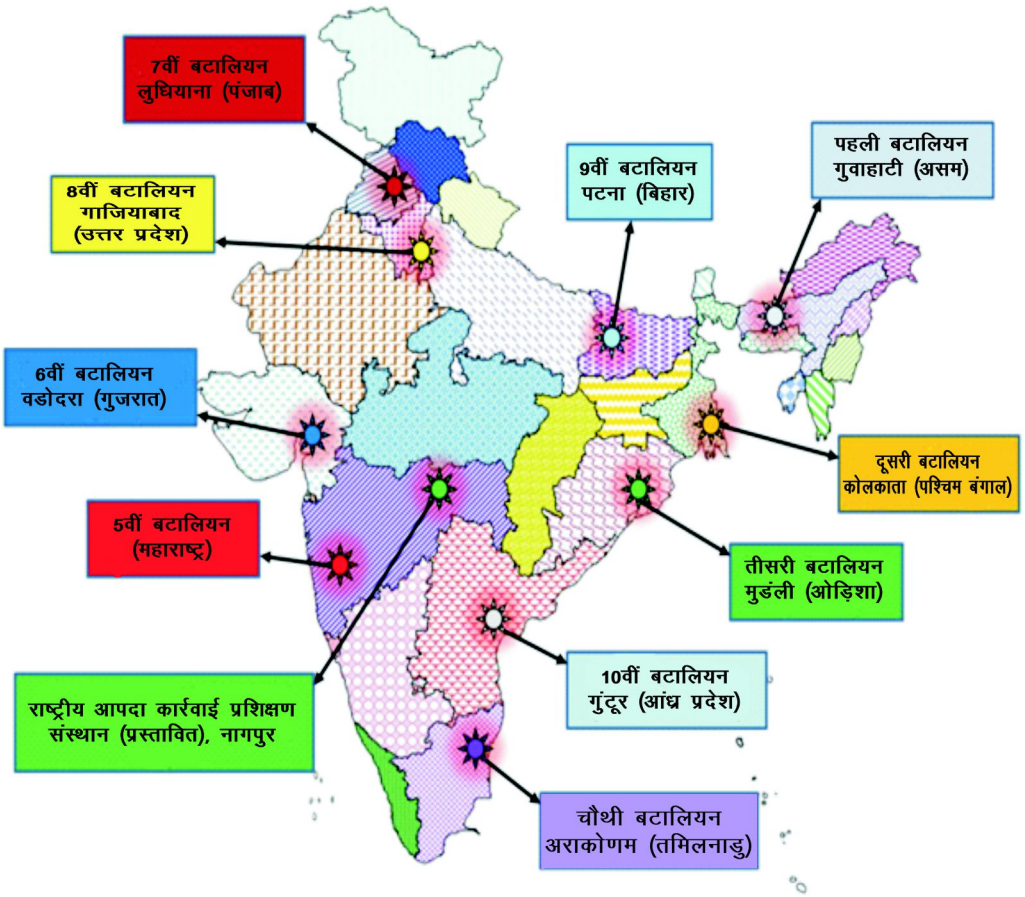

7.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं पर विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) के गठन के लिए सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं। अधिनियम की धारा 45 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन और महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. की कमान और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना है।

अधिनियम की धारा 44 (i) में निहित दूरदृष्टि (विजन) के साथ एन.डी.आर.एफ. धीरे–धीरे सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एन.डी.एम.ए. के सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवंत, बहु–विषयक और बहु–कुशल, उच्च तकनीक–प्राप्त बल के रूप में उभर रहा है।

दूरदृष्टि (विजन)

7.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 रोकथाम, प्रशमन और तैयारी पर बल देने के साथ–साथ आपदाओं के सकारात्मक, संपूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के तत्कालीन कार्रवाई–केन्द्रित संलक्षण (सिंड्रोम) में आमूलचूल परिवर्तन पर विचार करता है। यह राष्ट्रीय दूरदृष्टि, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करने का लक्ष्य रखती है। एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न हितधारकों के साथ कृत्रिम ड्रिल और संयुक्त अभ्यास द्वारा संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर उच्च कौशल–युक्त बचाव और राहत अभियान, नियमित और गहन प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और परिचय अभ्यासों द्वारा इस दूरदृष्टि को प्राप्त करने में अपना महत्त्व सिद्ध किया है।

एन.डी.आर.एफ. की भूमिका

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट कार्रवाई
- आसन्न आपदा स्थितियों के दौरान सकारात्मक तैनाती
- अपने प्रशिक्षण और निपुणता का अर्जन और सतत उन्नयन
- संपर्क, टोह (सर्वेक्षण), रिहर्सल और मॉक ड्रिल
- राज्य कार्रवाई बल (पुलिस), नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को बुनियादी और प्रचालन स्तर का प्रशिक्षण देना
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण और राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.) बनाने में सहायता

समुदाय के साथ

- सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- जन जागरूकता अभियान
- प्रदर्शनी : पोस्टर, पैम्फलेट, साहित्य
- ग्रामीण स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण

संगठन

7.4 प्रारंभ में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आठ बटालियनों (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी., प्रत्येक में से दो–दो बटालियन लेकर) के साथ किया गया था, 2011–12 में 2 और बटालियन शामिल की गईं थीः तथा 2013–14 में 2 और बटालियन शामिल की गईं। आज इस बल को "संसार के एकल विशालतम प्रतिबद्ध आपदा कार्रवाई बल" होने की अनोखी विशिष्टता अर्जित कर ली है।

7.5 प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, टैक्नीशन, इलेक्ट्रीशन, श्वान दल (डॉग स्क्वाड) और चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत प्रत्येक में खोज और बचाव दल के 44 कार्मिक और 18 स्वतःपूर्ण (सेल्फ–कन्टेन्ड) है। प्रत्येक बटालियन की कुल स्टाफ संख्या लगभग 1,149 हैं। सभी बटालियनें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन) आपदाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं।

7.6 इसके अलावा, क्षेत्र की असुरक्षितता रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए देश के 20 दूर–दराज के दुर्गम स्थानों और संवेदनशील महानगरों में एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों को तैनात करने के बारे में 9 नवंबर, 2011 को सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुक्रम में, एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों की तैनाती के लिए उचित भूमि तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों को तैनात करने की प्रास्थिति निम्नानुसार हैः

एन.डी.आर.एफ. बटालियन	टीमें/कंपनियां	प्रास्थिति
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी	आइजोल (मिजोरम)	मिजोरम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	अरुणाचल प्रदेश सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता	गंगटोक (सिक्किम)	सिक्किम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	परिवहन नगर, माटीगाढ़ा में 1 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण का काम प्रक्रियाधीन है।
	कोलकाता (पश्चिम बंगाल) सी.बी.आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने मौजामंडलगंथी, जिला 24 परगना (उत्तरी) कोलकाता में 0.94 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि का मूल्य लगाया जाना प्रतीक्षित है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन मुंडली	बालेश्वर (ओडिशा)	राज्य सरकार ने बालेश्वर में आधार ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उपयुक्त सेटअप को तलाश किया जा रहा है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन अराकोणम	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)	राज्य सरकार आई.आर.बी. में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। टीम को पोजिशन दी जा रही है।
	चेन्नई (तमिलनाडु) सी.बी.आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने किराया आधार पर स्थान देने की पेशकश की है। लीज डीड के बाद टीम तैनात की जाएगी।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे	बंगलौर (कर्नाटक)	बंगलौर ने 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। स्थायी/अर्द्ध–स्थायी भवन (स्ट्रक्चर) के निर्माण के बाद टीम को तैनात किया जाएगा।
	मुम्बई (महाराष्ट्र)	राज्य सरकार ने बोरीवली और मनखुर्द में स्थान देने की पेशकश की है। उपयुक्तता आकलन के बाद वहां टीम तैनात की जाएगी। वर्तमान में, अंधेरी स्पोर्टस् कॉम्प्लैक्स की 3 टीमें स्थायी रूप से तैनात की गई हैं।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गांधीनगर	गांधीनगर (गुजरात)	राज्य सरकार ने देगाम में भूमि (लगभग 6 एकड़) का प्रस्ताव किया है।
	बाड़मेर (राजस्थान)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अस्थायी रूप से टीम को नरेली, किशन गढ़ में तैनात किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिंडा	श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	राज्य सरकार को अभी भूमि उपलब्ध करानी है।

	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	भूमि का आबंटन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गाजियाबाद	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	दिल्ली (सी.बी. आर.एन. टीम)	भूमि के लिए डी.डी.ए. को भुगतान कर दिया गया है। कब्जा लेना अभी बाकी है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार के विचारों के अनुसार एन.डी.एम.ए. ने गृह मंत्रालय से स्थल को वाराणसी से बदलकर गोरखपुर करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सुपौल (बिहार)	राज्य सरकार ने 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त करना प्रतीक्षित है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुंटूर	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	भूमि आंबटन प्रक्रियाधीन है। अस्थायी रूप से, एक टीम रंगारेड्डी में तैनात है।
	विशाखापट्टनम	राज्य सरकार को अभी भूमि उपलब्ध करानी है।

एन.डी.आर.एफ. : एन.डी.एम.ए. की उच्च प्राथमिकता

7.7 एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. को आपदा कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध विशेष बल के रूप में साबित करने के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन (आवेग) उपलब्ध करवाया है। सितम्बर, 2005 में अपने आरंभ से ही एन.डी.एम.ए. ने यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि एन.डी.आर.एफ. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। एन.डी.एम.ए. के अनुवर्ती प्रयासों से आज एन.डी.आर.एफ. ''अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहु–विशयक, बहु–कुशल, प्रशिक्षित और सुसज्जित एक हाइटेक विशेषज्ञ बल'' बन गया है जो किसी प्राकृतिक आपदा या सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति के लिए कार्रवाई करने में सक्षम है।

रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान एन.डी.आर.एफ. के प्रचालन और अन्य कार्यकलाप

आपदा के प्रति कार्रवाई

7.8 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने अनेक पूर्व–अधिकृत (प्री–एम्पटिड) आपदा पूर्व तैनाती की और विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कार्रवाई की और 1,09,743 लोगों को विभिन्न आपदाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर उनकी जानें बचाईं/फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और आपदा पीड़ितों के 435 शवों को बरामद किया। एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्रवाई अभियानों का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया है:

गांव थलौट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के पास ब्यास नदी में छात्रों का डूबना

7.9 गांव थलौट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के पास ब्यास नदी में मनाली के भ्रमण टूर पर आए वी.एन.आर. विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के चौबीस छात्रों के एक टूर ऑपरेटर सहित बह जाने की दुखद दुर्घटना के बारे में टी.वी. न्यूज के माध्यम से दिनांक 08.06.2014 को रात 08.30 बजे एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय के प्रचालनात्मक नियंत्रण कक्ष में एक सूचना प्राप्त की गई। एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय के निर्देश के अनुसार 07 बटालियन एन.डी.आर.एफ. (भटिंडा) की टीमों को यूनिट

कमान्डेन्ट के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एकत्र किया गया और एन.डी.आर.एफ. की पहली टीम सड़क मार्ग द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद घटना स्थल पर सुबह 10 बजे पहुंच गई। गहरे गोताखोरों और अन्य बाढ़ बचाव संबंधित उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की 05 टीमों ने थलौट में दिनांक 09.06.2014 से 17.08.2014 तक खोज और बचाव अभियान संचालित किया। समूह से कुल चौबीस शव (एन.डी.आर.एफ. टीमों द्वारा 17 शवों सहित) बरामद किए गए जिनमें से चार शवो को एन.डी.आर.एफ. टीम के दिनांक 09.06.2014 को वहां पहुंचने से पूर्व बरामद किए गया था।

गांव मलिन, तहसील अंबेगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में भूस्खलन

7.10 दिनांक 30.07.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, पुणे और डी.डी.एम.ओ., पुणें, महाराष्ट्र द्वारा गांव मलिन, तहसील अंबेगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में भारी भूस्खलन के बारे में सूचना मिलने पर उनकी मांग पर 378 बचावकर्ताओं वाली 05 बटालियन एन.डी.आर.एफ. की 09 टीमों ने दिनांक 30.07.2014 से 06.08.2014 तक खोज तथा बचाव अभियान का संचालन किया। अभियान के दौरान टीमों ने 08 लोगों की जान बचाई, 151 शव, शिनाख्त न हो पाने वाले 05 शव और 58 पशुओं को बरामद किया। इस संपत्ति के अलावा, अभियान स्थल से पांच लाख रुपए मूल्य के सोने के गहनों और चांदी के बर्तनों सहित 7000 रुपए की नगदी बरामद हुई।

जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ बचाव तथा राहत अभियान

7.11 जम्मू एवं कश्मीर में भारी मूसलाधार बारिश, जिसके कारण राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही और गंभीर संकट पैदा हो गया तथा अनेक लोग हताहत हुए और कई लोग लापता हो गए, के परिप्रेक्ष्य में 04 सितंबर, 2014 को 07 बटालियन एन.डी.आर.एफ., भटिंडा की दो खोज तथा बचाव टीमों को सड़क मार्ग से जम्मू एवं कश्मीर रवाना किया गया। टीमें 05 सितंबर, 2014 को जम्मू पहुंच गईं। कुल मिलाकर, 35 गोताखोरों, 148 नावों, 338 रक्षा–बोया (लाइफ बुआय), 765 लाइफ जैकेट, 16 डाइविंग सेट, नेत्र यू. ए.वी., 20 सैटेलाइट फोनों और अन्य बाढ़ संबंधित उपकरणों के साथ लैस 22 टीमों (04 बटालियन, 05 बटालियन, 06 बटालियन, 07 बटालियन और 08 बटालियन एन.डी.आर.एफ.) को जम्मू और कश्मीर के अनेक जिलों नामतः राजौरी, ऊधमपुर, जम्मू, अवंतिपुरा और पुलवामा में तैनात किया गया। श्रीनगर में विभिन्न स्थानों यथा करन नगर मेन, राम बाग, राज बाग, चट्टबल, बक्शी स्टेडियम, जवाहर नगर, तुलसी बाग, बटमालू, बादामी बाग, शिवपुरा और सोनावर बाग में टीमों को तैनात किया गया।

7.12 जब स्थिति सामान्य हो गई तो टीमों को 15 सितंबर, 2014 से चरणबद्ध ढंग से वापस बुला (डी–इन्डक्टिड) लिया गया। अभियान के दौरान, एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने 50,815 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला, 15 शवों को बरामद किया, 88.22 टन राहत सामग्री को बांटा, मेडिकल कैंप स्थापित किया और 10,145 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अटैंड किया। इसके अलावा, एन.डी.आर.एफ. ने अपने हेल्प लाइन नम्बरों को परिचालित किया और पूरे भारत से 4,000 से अधिक अनुरोध (रिक्वेस्ट) प्राप्त किए गए तथा कुछ अनुरोध एस.एम.एस., फोनों, ई–मेल और वट्सऐप आदि के माध्यम से प्राप्त हुए।

ओडिशा में बाढ़

7.13 22.07.2014 को, ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव एवं विशेष राहत आयुक्त की मांग पर, वैतरणी नदी के बढ़ते जल स्तर के खतरे को देखते हुए 03 बटालियन एन.डी.आर.एफ. की तीन टीमें भद्रक और जजपुर जिले में तैनात की गईं। टीमों ने 22.07.2014 से 25.07.2014 तक भद्रक और जजपुर जिलों में बचाव अभियान चलाए और बाढ़ में फंसे 391 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, 02 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलवाई और दवाइयां तथा अन्य राहत सामग्री को बंटवाने में भी स्थानीय प्रशासन को सहायता दी।

7.14 दिनांक 04.08.2014 को, महानदी, वैतरणी, बुद्ध बंलग और अन्य नदियों के नदी–जलग्रहण क्षेत्रों में लगातर मूसलाधार बारिश के चलते उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण ओडिशा सरकार के उप राहत आयुक्त की मांग पर, 66 नावों और अन्य जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 456 बचावकर्मियों वाली 03 बटालियन एन.डी.आर.एफ. मुंडाली की कुल 11 टीमों को 04.08.2014 से 11.08.2014 तक ओडिशा के भद्रक, जजपुर (02 टीम), क्योन्जर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कटक (03 टीम), बलिपाड़ा और बालासौर जिलों में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान, टीमों ने बाढ़ में फंसे 773 गांव वालों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और जिला प्राधिकारियों को राहत सामग्री के 183 क्विंटल और 316 थैलों, 420 प्लास्टिक तिरपाल और पेय जल पैकिटों को बंटवाने में सहायता प्रदान की।

बिहार में बाढ़

7.15 नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सन कोसी नदी पर कृत्रिम जलाशय के बनने तथा नेपाल सरकार के चरणबद्ध ढंग से (इन फेज्ड मैनर) पानी को छोड़ने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग के बारे में नेपाल सरकार के अलर्ट को देखते हुए, बिहार सरकार ने एन.डी.आर.एफ. टीमों की तैनाती की मांग की। तदनुसार, एन.डी.आर.एफ. की 709 बचावकर्मियों वाली 15 टीमों (02 बटालियन एन.डी. आर.एफ., कोलकाता से 07 टीमें, 09 बटालियन एन.डी.आर. एफ., पटना से 08 टीमें) को 78 फुलाई जाने वाली रबर की नावों, 04 फाइबर रिजिड प्लास्टिक नाव, 27 सैटेलाइट फोनों, 318 लाई बुआईज, 13 फुलाई जाने वाली हल्की नावों और अन्य जीवन–रक्षक उपकरणों के साथ बिहार के सहरसा, मधेपुरा खगरिया, मधुबनी, सुपौल और दरभंगा जिलों में क्रमशः 02.08.2014 से 07.08.2014 और 02.08.2014 से 09.08.2014 तक तैनात किया गया। टीमों ने बचाव अभियान चलाया और 14,352 बाढ़–पीड़ित गांव वालों (05.08.2014 को 16 लोग जिनमें एक लेफ्टि. कर्नल शिवाजी वागड़े, 14 सेना कार्मिक और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं) और 332 पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।

7.16 बिहार सरकार की मांग पर, 14.08.2014 से 25.09.2014 तक बाढ़ राहत अभियानों के लिए बिहार में सुपौल, नालन्दा, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, दीदारगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बाढ़ में 13 टीमें तैनात की गई, और इन टीमों ने 7,651 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और 06 शव बरामद किए और चिकित्सा कैंप लगाया तथा राहत सामग्री बांटी।

असम में बाढ़

7.17 मानसून के मौसम के लिए पूर्व–तैनात 01 बटालियन गुवाहाटी की टीमों ने असम राज्य के कामरूप जिला में दिनांक 27.06.2014 को, धेमाजी जिला में 13.08.2014, 22.08.2014 और 25.08.2014 को, लखीमपुर जिला में 15.08.2014 और 21.08.2014, सोनितपुर जिला में 25.08.2014 और 03.09.2014 को बाढ़ बचाव अभियान का संचालन किया। टीमों ने 6,394 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

7.18 दिनांक 22.09.2014 को असम राज्य में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी और लगातार भारी बारिश को देखते हुए, 01 बटालियन एन.डी.आर.एफ. बटालियन की तीन टीमों को बोको, जिला कामरूप (ग्रामीण) और जिला गोलपाड़ा के लिए 2 टीमों को एकत्र किया गया। कुल मिलाकर, एन.डी.आर.एफ. से 15 टीमों (01 बटालियन, 03 बटालियन और 09 बटालियन) को असम में कामरूप (ग्रामीण), कामरूप

(महानगर), गुवाहाटी, गोलपाड़ा, लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी और आई.डब्ल्यू.टी. गुवाहाटी में तैनात किया गया। 27.09.2014 को, श्री ओ.पी. सिंह, आई.पी.एस., महानिदेशक एन.डी.आर.एफ. ने श्री किरेन रिजीजू, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ असम और मेघालय का दौरा किया तथा 01.10.2014 को श्री ओ.पी. सिंह, आई.पी.एस., महानिदेशक एन.डी.आर.एफ. ने श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ असम और मेघालय का दौरा किया। अभियान के दौरान, टीमों ने 3,439 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, 02 शवों को बरामद किया और 40 क्विंटल राहत सामग्री बांटी।

उत्तर प्रदेश में बाढ़

7.19 एन.डी.आर.एफ. की 05 टीमों (08 बटालियन की 01 टीम और 09 बटालियन की 04 टीम) को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (18.06.2014 से 24.08.2014), गोरखपुर और बहराइच (23.06.2014), वाराणसी (27.08.2014), बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों (17.08.2014 से 28.08.2014) जिलों में बाढ़ बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया। टीमों ने बचाव अभियान चलाए और 7,651 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, 06 शवों को बरामद किया, मेडिकल कैंप लगाए जिनमें 882 लोगों का इलाज किया गया। 16.08.2014 को लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में, टीम ने अपने चिकित्सा के प्रथम प्रतिक्रियादाता (एम.एफ.आर.) के हुनर का उपयोग किया और एक महिला द्वारा अपने नवजात शिशु को उत्पन्न करने में सहायता दी जिसे एन.डी.आर.एफ. की नौका द्वारा बधइया गांव, बाल्हा ब्लॉक, जिला बहराइच रूप से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था।

चक्रवात "हुदहुद"

7.20 एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय को दिनांक 06 अक्तूबर, 2014 को उत्तरी अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बड़ा दबाव बनने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात अलर्ट और उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्र तटों के लिए पूर्व–चक्रवात निगरानी के बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के संदेश को प्राप्त किया। बाद में, चक्रवात का नाम "हुदहुद" रखा गया। 42 टीमों (02 बटालियन, 03 बटालियन, 04 बटालियन, 08 बटालियन, और 10 बटालियन एन.डी.आर.एफ.) को आंध्र प्रदेश (26 टीम) में 08.10.2014 से 25.10.2014 तक और ओडिशा (16 टीम) में 08.10.2014 से 25.10.2014 तक तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश में तैनात एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने 14,193 बाढ़/चक्रवात पीड़ित लोगों को बचाया, 83 पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और 01 व्यक्ति के शव और चार पशुओं को बरामद किया। एन.डी.आर.एफ. की टीम ने 14,305 पेड़ों को काटा और 1,619 बिजली के खंभों को 1,175 किलोमीटर सड़क को यातायात हेतु खोलने (क्लियर) के लिए हटाया और पीड़ित लोगों को 50 क्विंटल राहत सामग्री बांटी। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने मेडिकल कैंप भी लगाया और 270 मरीजों को इसमें देखा गया। ओडिशा में तैनात एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने 1,403 बाढ़/चक्रवात प्रभावित लोग को बचाया, 2,18 किलोमीटर सड़क से मलबा साफ करने के लिए 185 पेड़ों को काटा और पीड़ित लोगों को 07 क्विंटल राहत सामग्री बांटी। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने मेडिकल कैंप भी लगाया और 50 मरीजों को इसमें देखा गया।

चक्रवात "नीलोफर"

7.21 एन.डी.आर.एफ. की 17 टीमों को 28.10.2014 से 02.11.2014 तक चक्रवात "नीलोफर" के दौरान आपातकालीन कार्रवाई के लिए गुजरात और राजस्थान राज्य में तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने गुजरात में 1475 बाढ़/चक्रवात पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने मेडिकल कैंप भी लगाया और 333 गांव वालों के बीच दवाइयां बांटी।

बिहार में नाव का पलटना

7.22 12.07.2014 को, पलासी ब्लॉक, जिला अररिया में नाव पलटने की घटना और 02 लोगों के गुम हो जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, पटना की मांग पर, 12.07.2014 से 13.07.2014 तक एक टीम ने एस.ए.आर. अभियान चलाया। टीम ने एक शव को बरामद किया।

उत्तर प्रदेश में नाव का पलटना

7.23 दिनांक 05.08.2014 को, भीतरवार घाट, रिथिनिया ब्लॉक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में एक नाव पलटने (जिसमें 42–45 लोग सवार थे) की घटना के बारे में जिला मजिस्ट्रेट की मांग पर, 05.08.2014 से 08.08.2014 तक एक टीम को स्थायी आधार पर खोज एवं बचाव अभियान के लिए संस्कृत संकुल भवन, हुकुलगंज, वाराणसी में तैनात किया गया। अभियान के दौरान, 12 शवों को बरामद किया जिनमें एन.डी.आर.एफ. टीम ने 04 शव बरामद किए।

छपरा रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन के 09 डिब्बों का पटरी से उतरना

7.24 दिंनाक 25.06.2014 को, छपरा रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन के 09 डिब्बों का पटरी से उतरने की घटना होने पर सुरक्षा अधिकारी, रेलवे प्रभाग, सोनपुर की मांग पर, क्षतिग्रस्त इमारत खोज और बचाव (सी.एस.एस.आर.)/एम.एफ.आर. उपकरणों के साथ 66 बचावकर्मियों की 02 टीमों ने एस.ए.आर. अभियान चलाए और 03 शवों को बरामद किया।

लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन और कृषक एक्सप्रेस ट्रेन के बीच टक्कर

7.25 दिनांक 01.10.2014 को गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन और कृशक एक्सप्रेस ट्रेन के बीच टक्कर होने पर जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की मांग पर, 01 टीम ने एस.ए.आर. अभियान चलाया और 13 शवों को बरामद किया।

सी.बी.आर.एन. उपकरणों का परिनियोजन (डिप्लॉयमेंट्स)

7.26 दिनांक 26.05.2014 को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति भवन क्षेत्र में दिंनाक 26.05.2014 को, एक निगरानी वाहन, एक हजमत वाहन और अन्य सी.बी.आर.एन. उपकरणों के साथ एक टीम को तैनात किया गया।

7.27 दिनांक 15.08.2014 को, लालकिले पर हजमत वाहन, एक निगरानी वाहन और अन्य सी.बी.आर.एन. उपकरणों के साथ एक टीम को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आपातकालीन कार्रवाई के संबंध में तैनात किया गया।

7.28 राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2015 के लिए सी.बी.आर.एन. कवच प्रदान करने हेतु 25/01/2015 से 26/01/2015 तक हजमत वाहन और अन्य सी.बी.आर.एन. उपकरणों के साथ एक सी.बी.आर.एन. टीम को तैनात किया गया। हजमत, निगरानी वाहन के साथ दो टीमों को गणतंत्र दिवस 2015 के लिए सी.बी.आर.एन. कवच प्रदान करने हेतु राजपथ (उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र की तरफ) पर भी तैनात किया गया।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान एन.डी.आर.एफ. के प्रशिक्षण कार्यकलाप

7.29 प्रशिक्षण कुशलता और विशेषज्ञता को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक

कई किस्म के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिनमें कुशलता को निखारने और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार आपदाओं से निपटने के लिए विशेषज्ञता स्तर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में विभिन्न तरीकों जैसे जागरूकता सृजन कार्यक्रमों का संचालन, व्याख्यान देना, प्रदर्शन और कृत्रिम अभ्यास द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ–साथ आम जनता को जानकारी देना भी शामिल हैं। एन.डी.आर.एफ. द्वारा लिए जाने वाले कुछ प्रमुख प्रशिक्षण और इसके द्वारा अन्य एजेंसियों को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण के कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों का प्रशिक्षण

7.30 एन.डी.आर.एफ. बटालियन अपने प्रशिक्षण के अलावा, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, राज्य पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षण दे रही है। विभिन्न एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने वर्ष 2014 (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) में एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जिसमें 1211 एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

1 अप्रैल–2014 से 31 मार्च–2015 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण

क्रम सं०	नाम	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या
1.	एस.डी.आर.एफ. प्रशिक्षण	1211
2.	एस.डी.सी. मॉड्यूल	73
3.	बुनियादी पाठ्यक्रम	3589
4.	एम.ओ.टी./टी.ओ.टी. पाठ्यक्रम	698
5.	विशिष्ट पाठ्यक्रम	1871

परिचय अभ्यास (फेमेक्स)/जागरूकता सृजन कार्यक्रम

7.31 एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नगालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल परिचय अभ्यास/जागरूकता सृजन कार्यक्रम संचालित किए। कुल 3,47,164 लोगों को इन कार्यक्रमों से फायदा पहुंचाया गया।

एन.डी.आर.एफ. द्वारा कृत्रिम कवायद

7.32 एन.डी.आर.एफ. टीमों ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में कृत्रिम अभ्यास/कवायद की। 80,000 से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों से फायदा पहुंचाया गया।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में करगिल जिले के जंसकर क्षेत्र में एन.डी.एम.ए. के विशेषज्ञ दल द्वारा आपदा को टालना

7.33 एस.ए.एस.सी., सी.डब्ल्यू.सी., बी.आर.ओ., एन.एच.पी.सी., एस.ओ.आई., सी.आई.एम.एफ.आर.एल. के वरिष्ठ सदस्यों और एन.डी.एम.ए. से सलाहकार, भूस्खलन की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा टीम ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में करगिल जिले के दुर्गम्य जंसकर क्षेत्र में एक संभावित आपदा को टाल कर एक प्रशंसनीय काम किया। सेना के इंजीनियरों और लद्दाख के स्काउटों ने पूरे अभियान के दौरान सहायक भूमिका निभाई।

7.34 जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने एन.डी.एम.ए. को 20 जनवरी, 2015 को सूचित किया कि सिंधु नदी की सहायक नदी फुटकल एक बड़े भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो गई है। भूस्खलन से, लगभग 15 किलोमीटर ऊर्ध्वमुखी बढ़ोतरी होकर एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया। इस जलाशय के टूटने और आकस्मिक बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों की जान गंभीर खतरे में पड़ने का एक संभावित संकट उत्पन्न हो गया। आलची में निमो बाजगो हाइडेल परियोजना भी नष्ट हो सकती थी जिससे लेह क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो जाती।

7.35 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एन.सी.एम.सी. की बैठक के दौरान, यह फैसला किया गया कि एन.डी.एम.ए. एक विशेषज्ञ टीम का गठन करेगा जो ब्लॉकेज की टोह लेगा और उपचारी उपायों का सुझाव देगा। क्षेत्र में भारी बर्फबारी और हेलिकॉप्टरों की अनुपलब्धता के कारण, विशेषज्ञ टीम टोह लेने का कार्य 08 फरवरी से लेकर 11 फरवरी, 2015 तक ही कर सकी। एन.सी.एम.सी. में टोह लेने संबंधी रिपोर्ट पेश की गई और यह फैसला लिया गया कि एक नाला (चैनल) तैयार करने के लिए एक नियंत्रित विस्फोट (ब्लास्टिंग) किया जाए जिससे बड़ी मात्रा में जलाशय में अटका हुआ पानी उसमें से धीरे–धीरे बाहर निकल जाए।

निकल जाए।

7.36 प्रभावित क्षेत्र 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो शून्य तापमान से नीचे रहने के लिए जाना जाता है। बंजर मैदानों और विषम जलवायु परिस्थितियों से लड़ते हुए, विशेषज्ञ टीम को काम करना पड़ा। टीम को राज्य प्रशासन, सेना और वायु सेना से पूरा सहयोग मिला। लगभग 1.5 कि. मी. ऊपर की तरफ एक संभारतंत्र आधार स्थापित किया गया जिसमें टीम के 15 दिनों तक रहने के लिए पूरा स्टॉक रखा गया। उसी दौरान, एक विस्तृत निष्क्रमण एवं पुनर्वास योजना के आधार पर, राज्य सरकार ने लोगों की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया और उन्हें सभी तरह की सहायता दी।

7.37 अनेक विस्फोट और शारीरिक खुदाई (मैनुअल डिगिंग) के बाद, टीम 100 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक नाला (चैनल) तैयार करने में समर्थ हुई। इससे नीचे की ओर बड़ी मात्रा में नदी में अटके पानी को नियंत्रित करके धीरे–धीरे छोड़ा जा सका। नीचे की ओर नदी में जल स्तर को मॉनीटर करने के लिए, एक स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (ए.डब्ल्यू.एल.आर.) को ब्लॉकेज के नीचे लगभग 18 कि.मी. के नीचे फुटकल गोम्पा में संस्थापित किया गया।

7.38 अंततः यह साहसिक एवं सफल अभियान 18 मार्च, 2015 को समाप्त हुआ। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को यह श्रेय जाता है कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पूरे अभियान के दौरान हेलिकॉप्टर द्वारा 380 उड़ानें भरी गईं और नाले को तैयार करने के लिए लगभग 175 किलोग्राम के विस्फोटकों का उपयोग किया गया।

7.39 एन.डी.एम.ए. को यह कहने में न्यायोचित गर्व है कि किसी ऊबड़–खाबड़/बंजर मैदान में किसी बड़ी आपदा को टालने के लिए किया गया यह अभियान अपने किस्म का पहला एकीकृत अभियान है। ऐसा अभियान एन.डी.एम.ए. द्वारा दर्शायी गई अति सक्रियता और राज्य सरकार, थल सेना और वायु सेना द्वारा प्रदान की गई पूर्ण सहायता के कारण संभव हुआ।

अध्याय–8

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

8.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन/क्षमता निर्माण और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन, समन्वय प्रभाग तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग

8.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में स्वीकृत कुल कर्मचारी 15 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

8.3 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों और पूर्णतः सुरक्षित संचार तथा आई.टी. योजना आदि जैसे आपदा विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेना है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव के स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

8.4 शीर्ष निकाय के रूप में, एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह कार्रवाई के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास एवं पुनर्बहाली संबंधी कार्यों में भी निकटता से शामिल रहता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नव–निर्मित वातावरण आपदा समुत्थानशील हो।

8.5 इस प्रभाग का काम प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक नवीनतम संचार प्रणालियों का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के आधारभूत घटक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 15 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन प्रभाग

8.6 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विस्तृत पत्राचार करना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत

कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं।

क्षमता निर्माण

8.7 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह समुदाय और जमीनी स्तर के अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा और निष्पादन का काम भी करता है।

वित्त और लेखा प्रभाग

8.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनीटर भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है।

8.9 एन.डी.एम.ए. में वित्त प्रभाग का मुखिया वित्त सलाहकार होता है और निदेशक (वित्त), सहायक वित्त सलाहकार, एक अनुभाग अधिकारी और दो सहायक अनुभाग अधिकारी निम्नलिखित कार्यों को करते हैं :

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम संबंधी प्रभागों के परामर्श से बजट बनाने के काम में समन्वय करना तथा बाद में मॉनीटरिंग करना ।

8.10 एन.डी.एम.ए. के लेखा का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय

(हजार रुपए)

परियोजना का नाम	बजट आबंटन	व्यय
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	27,46,700	26,11,784
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ .डी.एम.पी.) –{ओ.डी.एम.पी. जिनमें राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना, भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एल .आर.एम.पी.), बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना, आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (डी .एम.सी.एन.) शामिल हैं।}	6,40,000	14,006
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान	100000	0
आपदा ज्ञान नेटवर्क	100000	0
योग	**35,86,700**	**26,25,790**

एन.डी.एम.ए.– अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि के लिए
बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना–भिन्न)

(हजार रुपए)

वस्तु शीर्ष	ब.अ. 2014–15	31/03/2015 तक वास्तविक व्यय
स्थापना प्रभार (आयोजना–भिन्न)		
वेतन	95,000	72,354
मजदूरी	10	0
समयोपरि भत्ता	10	0
चिकित्सा व्यय	5,000	1,293
घरेलू यात्रा व्यय	27,000	16,036
विदेशी यात्रा व्यय	2,500	1,371
कार्यालय व्यय	50,000	49,984
किराया, दर और कर	10	0
प्रकाशन	8,000	542
अन्य प्रशासनिक व्यय	10,000	4,819
आपूर्ति एवं सामान	10	0
पी.ओ.एल.	50	0
विज्ञापन और प्रचार	1,20,000	45,225
लघु निर्माण कार्य	10,000	2,488
व्यावसायिक सेवाएं	26,000	13,292
अन्य प्रभार	510	0
सूचना प्रौद्योगिकी		
अन्य व्यय	7,500	3,450
मशीनरी एवं उपस्कर	0	
कुल योग	**3,61,600**	**2,10,854**

* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय –विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय के आंकड़े समाहित

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक)
3.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक)
4.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक)
5.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक)
6.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
7.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
8.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
9.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
10.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)
11.	लेफ्टिनेन्ट जनरल एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस. एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.12.2014 से)
12.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
13.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)
14.	श्री आर.के. जैन	सदस्य सचिव (23.02.2015 से)

अनुबंध–II

उन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची जिनके आपदा से निपटने की तैयारी हेतु किए गए प्रयासों पर परिचर्चा के लिए बैठकें आयोजित की गई थीं

जुलाई 2014

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	बैठक की तारीख
1.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	21.07.2014
2.	जल संसाधन मंत्रालय	21.07.2014
3.	कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	21.07.2014
4.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	21.07.2014
5.	खान मंत्रालय	22.07.2014
6.	आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	22.07.2014
7.	शहरी विकास मंत्रालय	22.07.2014
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	22.07.2014
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23.07.2014
10.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	23.07.2014
11.	भेषज विभाग	23.07.2014
12.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	23.07.2014

अगस्त 2015

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	बैठक की तारी ख
1.	उर्वरक विभाग	26.08.2014
2.	भूमि संसाधन विभाग	26.08.2014
3.	पशुपालन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	26.08.2014
4.	ग्रामीण विकास विभाग	26.08.2014
5.	पंचायती राज मंत्रालय	26.08.2014
6.	नागर विमानन मंत्रालय	27.08.2014
7.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	27.08.2014
8.	परमाणु ऊर्जा विभाग/भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	27.08.2014
9.	अंतरिक्ष विभाग	27.08.2014
10	दूरसंचार विभाग	27.08.2014

मार्च 2015

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	बैठक की तारीख
1	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	26 03 2015
2.	उच्चतर शिक्षा विभाग	26.03.2015
3.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	26.03.2015
4.	रक्षा मंत्रालय	26.03.2015
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	26.03.2015
6.	रेल मंत्रालय	27.03.2015
7.	कोयला मंत्रालय	27.03.2015
8.	विद्युत मंत्रालय	27.03.2015
9.	जहाजरानी मंत्रालय	27.03.2015

अनुबंध–III

अभियानों की उपलब्धि का सारांश (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015)

क्रम सं०	अभियान का नाम	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जीवित बचाए गए/चोट ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या	बरामद किए गए शवों की संख्या
01	**बाढ़ से किया गया बचाव कार्य/आपातकालीन कार्रवाई**	असम	9833	04
		उत्तराखंड	240	.
		ओडिशा	1068	.
		गुजरात	1157	.
		बिहार	22056	.
		राजस्थान	7	.
		पश्चिम बंगाल	55	.
		उत्तर प्रदेश	3415	.
		जम्मू और कश्मीर	50815	15
		मेघालय	3889	04
		आंध्र प्रदेश	45	.
		योग	**92580**	**23**
02	**डूबे हुए/गुमशुदा लोगों के मामले**	हिमाचल प्रदेश	0	20
		महाराष्ट्र	03	21
		आंध्र प्रदेश	03	05
		कर्नाटक	0	04
		पंजाब	0	02
		राजस्थान	0	08
		बिहार	10	30
		असम	32	19
		उत्तर प्रदेश	14	07
		उत्तराखंड	04	01
		तमिलनाडु	01	03
		त्रिपुरा	0	01
		ओडिशा	0	01
		केरल	0	03
		पश्चिम बंगाल	0	01
		नगालैण्ड	0	03
		योग	**67**	**129**

03	**ढह गई इमारतों की घटना**	महाराष्ट्र	02	01
		गुजरात	01	04
		उत्तर प्रदेश	02	11
		तमिलनाडु	12	52
		उत्तराखंड	0	01
		केरल	0	03
		योग	**17**	**72**
04	**नाव पलटने की घटना**	बिहार	0	16
		उत्तर प्रदेश	0	09
		अरुणाचल प्रदेश	0	01
		योग	**0**	**26**
05	**वाहन दुर्घटना**	उत्तराखंड	.	01
		योग	**.**	**01**
06	**ट्रेन दुर्घटना**	उत्तर प्रदेश	.	17
		बिहार	.	03
		कर्नाटक	.	04
		योग	.	**24**
07	**भूस्खलन**	सिक्किम	.	03
		असम	.	03
		महाराष्ट्र	08	151
		योग	**08**	**157**
08	**बादल का फटना**	उत्तराखंड	.	02
		योग	**.**	**02**
09	**चक्रवात 'हुदहुद'**	आंध्र प्रदेश	**14193**	**01**
		ओडिशा	**1403**	.
10	**चक्रवात 'नीलोफर'**	गुजरात	**1475**	.
		कुल योग	**109743**	**435**

अनुबंध–IV

1 अप्रैल–2014 से 31 मार्च–2015 तक किए गए
परिचय अभ्यास/जागरूकता सृजन द्वारा राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	(1 अप्रैल,14 से 31 मार्च,15 तक)
1	आंध्र प्रदेश	26606
2	अरुणाचल प्रदेश	443
3	असम	9247
4	अंडमान निकोबार	1415
5	बिहार	13337
6	छत्तीसगढ़	1685
7	दिल्ली	2026
8	दमन एवं दीव	2068
9	गुजरात	26879
10	गोवा	2395
11	हिमाचल प्रदेश	9662
12	हरियाणा	16312
13	झारखंड	1779
14	जम्मू और कश्मीर	6020
15	केरल	14638
16	कर्नाटक	15100
17	महाराष्ट्र	29341
18	मध्य प्रदेश	3828
19	मिजोरम	10189
20	नगालैण्ड	3259
21	ओडिशा	8557
22	पंजाब	27608
23	पुडुचेरी	1292
24	राजस्थान	12824
25	सिक्किम	3085
26	तमिलनाडु	15080
27	त्रिपुरा	18687
28	उत्तराखंड	9807
29	उत्तर प्रदेश	47620
30	पश्चिम बंगाल	6375
	योग	**347164**

अनुबंध–V

कृत्रिम अभ्यास द्वारा राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	(1 अप्रैल,14 से 31 मार्च,15 तक)
1	आंध्र प्रदेश	180
2	अरुणाचल प्रदेश	225
3	असम	1399
4	बिहार	53128
5	छत्तीसगढ़	45
6	चंडीगढ़	1167
7	गुजरात	1890
8	हिमाचल प्रदेश	602
9	हरियाणा	4070
10	झारखंड	50
11	महाराष्ट्र	1705
12	मध्य प्रदेश	150
13	ओडिशा	1038
14	पंजाब	2753
15	राजस्थान	967
16	तमिलनाडु	1027
17	त्रिपुरा	5178
18	उत्तर प्रदेश	4018
19	पश्चिम बंगाल	742
	योग	**80334**